समग्र शिक्षा अभियान

मुफ्त वितरण

कक्षा–8

# सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन

## भाग–3

Q.R. Code सहित

समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के
अन्तर्गत पाठ्य–पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण।
क्रय–विक्रय दण्डनीय अपराध

## DIKSHA ऐप कैसे डाउनलोड करें ?

**विकल्प 1:** अपने मोबाइल ब्राउज़र पे **diksha.gov.in/app** टाइप करें|

**विकल्प 2:** अपने एंड्राइड मोबाइल के Google Playstore पर DIKSHA NCTE  खोजें और “डाउनलोड” बटन को दबाएँ |

## मोबाइल पर QR कोड का उपयोग कर डिजिटल पाठ्य सामग्री कैसे प्राप्त करें

DIKSHA ऐप लॉन्च करें | ऐप अनुमतियों को स्वीकारें | उपयुक्त उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल का चयन करें

1 पाठ्यपुस्तकों में QR कोड स्कैन करने के लिए DIKSHA ऐप में दिए गए QR कोड आइकॉन को टैप करें |

2 डिवाइस को QR कोड की दिशा में इंगित करें और QR कोड के ऊपर केंद्रित करें |

3 सफल स्कैन पर , QR कोड से जुड़ी डिजिटल पाठ्य सामग्री सूचीबद्ध है |

## डेस्कटॉप पर DIAL कोड का उपयोग कर डिजिटल पाठ्य सामग्री कैसे प्राप्त करें

1 पाठ्यपुस्तक में QR के नीचे 6 अंको का एक कोड रहता है जिसे DIAL कोड कहते हैं |

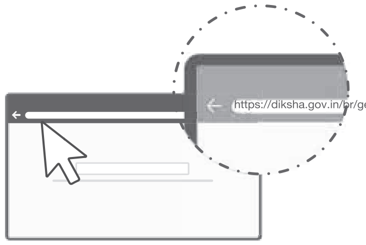


2 ब्राउज़र पर **diksha.gov.in/br/get** टाइप करें |

3 सर्च बार में 6 अंको का DIAL कोड टाइप करें |

4 सभी उपलब्ध पाठ्य सामग्री की सूची देखिए और किसी भी नए पाठ्य सामग्री को क्लिक करें और देखें |

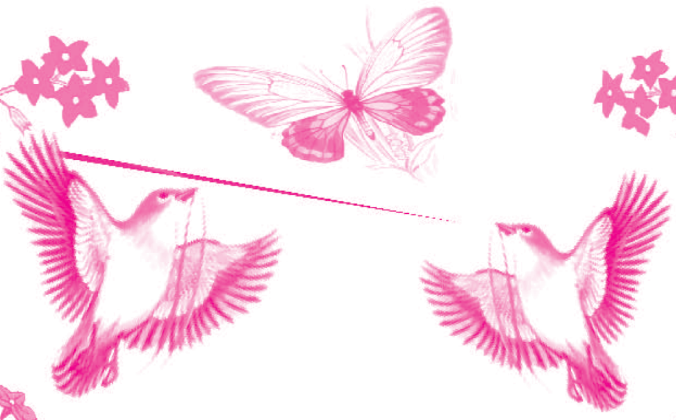

# वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलाम्
मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलाम्
मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्
सुखदां वरदां मातरम्।

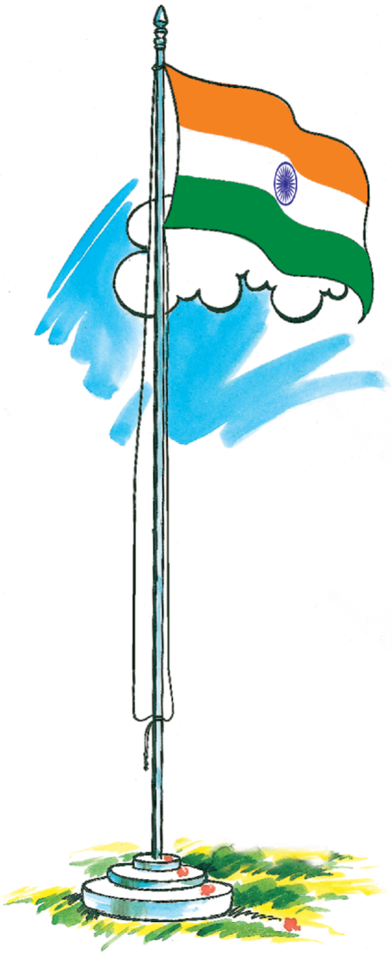

# राष्ट्र गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे

भारत भाग्य विधाता।

पंजाब - सिन्धु - गुजरात - मराठा

द्राविड़ - उत्कल - बंग

विंध्य हिमाचल यमुना गंगा

उच्छल जलधि तरंग

तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशिष मांगे

गाहे तब जय-गाथा।

जन-गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।

जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय, जय हे।

(स्रोत : गृह मंत्रालय, पब्लिक अनुभाग)

सत्र- 2024-25

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, कक्षा-8 (हिन्दी)

निःशुल्क वितरण हेतु

बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

मुद्रक : आकाश गंगा प्रेस, बिरला मंदिर रोड, पटना - 800 004

# सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन

## भाग–3

## कक्षा–8

E4M7F4

(राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार द्वारा विकसित)

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत ।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के सौजन्य से सम्पूर्ण बिहार राज्य में निमित्त।

© बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

समग्र शिक्षा अभियान : 2024-25 - 14,09,591 प्रतियाँ

## नि:शुल्क वितरण

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाठ्य-पुस्तक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना-800 001 द्वारा प्रकाशित तथा आकाश गंगा प्रेस, बिरला मंदिर रोड, भवंर पोखर, सब्जीबाग, पटना - 800 004 द्वारा 70 जी.एस.एम. मैपलिथो टेक्स पेपर (कात्यानी पेपर मिल्स, प्र० लि० वाटर मार्क) तथा 220 जी.एस. एम. आर्ट बोर्ड आवरण पेपर (जेके पेपर लि0) पर कुल 1,18,112 प्रतियाँ 18 ×24 से.मी. साइज में मुद्रित।

# प्राक्कथन

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्णयानुसार अप्रैल, 2009 से प्रथम चरण में राज्य के कक्षा IX हेतु नए पाठ्यक्रम को लागू किया गया। इस क्रम में शैक्षिक सत्र 2010–11 के लिए वर्ग I, III, VI एवं X की सभी भाषायी एवं गैर भाषायी पाठ्य–पुस्तकें नए पाठ्यक्रम के अनुरूप लागू की गयीं। इस नए पाठ्यक्रम के आलोक में एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰, नई दिल्ली द्वारा विकसित वर्ग X की गणित एवं विज्ञान तथा एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰, बिहार,पटना द्वारा विकसित वर्ग I, III, VI एवं X की सभी अन्य भाषायी एवं गैर भाषायी पुस्तकें बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक निगम द्वारा आवरण चित्रण कर मुद्रित की गयीं। इस सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शैक्षिक सत्र 2011–12 के लिए वर्ग–II, IV एवं VII तथा शैक्षिक सत्र 2012–13 के लिए वर्ग V एवं VIII की नई पाठ्य–पुस्तकें बिहार राज्य के छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध करायी गयीं। साथ–ही–साथ वर्ग I से VIII तक की पुस्तकों का नया परिमार्जित रूप भी शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰, बिहार, पटना के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई है।

बिहार राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के गणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, डॉ. चन्द्रशेखर एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री के० के० पाठक, भा. प्र. से. के मार्ग दर्शन के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं।

एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰, नई दिल्ली तथा एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰, बिहार, पटना के निदेशक के भी हम आभारी हैं जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया।

बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों की टिप्पणियों एवं सुझावों का सदैव स्वागत करेगा, जिससे बिहार राज्य को देश के शिक्षा जगत में उच्चतम स्थान दिलाने में हमारा प्रयास सहायक सिद्ध हो सके।

**सन्नी सिन्हा, आई०आर०एस०एस०**
**प्रबन्ध निदेशक**
बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लि॰

## दिशाबोध–सह–पाठ्यपुस्तक विकास समन्वय समिति

- **श्री के० के० पाठक,** भा.प्र.से. अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
- **श्री रामशरणागत सिंह,** संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, विशेष कार्य पदाधिकारी बी.एस.टी.बी.पी.सी., पटना
- **श्री अमित कुमार,** सहायक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार सरकार
- **श्री सज्जन राजसेकर,** भा.प्र.से., निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- **श्री मधुसूदन पासवान,** कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना
- **डॉ. एस.ए.मुईन,** विभागाध्यक्ष, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- **डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी,** प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट, हाजीपुर

## पाठ्यपुस्तक विकास समिति

### लेखक सदस्यः

- श्रीमती तुलिका प्रसाद, व्याख्याता, पी.टी.ई.सी. बाढ़, पटना।
- श्री विजय कुमार सिंह, शिक्षक, एफ.एन.एस. एकेडमी, पटना।
- श्री कात्यायन कुमार त्रिपाठी, शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय चैलीटाल, गुलज़ारबाग, पटना।
- श्री ओमप्रकाश, शिक्षक, धनेश्वरी देवनन्दन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, दानापुर, पटना।
- श्रीमती नाहिदा प्रवीण, शिक्षिका, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खतरी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर।
- श्री आशीष कुमार, शिक्षक, उच्च विद्यालय बीर ओईयारा, पटना।
- श्री त्रिपुरारी कुमार, शिक्षक, मध्य विद्यालय बड़का डुमरा, आरा मुफस्सिल, भोजपुर।
- श्री आफताब आलम, शिक्षक, मध्य विद्यालय सारंगपुर, भोजपुर।
- श्री विकास कुमार राय, शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय श्रीकान्तपुर, राजपुर, बक्सर।
- श्री प्रवीण कुमार, शिक्षक, मध्य विद्यालय खोनहा, सत्तरकटैया, सहरसा।

### विषय विशेषज्ञः

- श्री अरविन्द सरदाना एकलव्य, शैक्षिक शोध एवं नवाचार संस्थान (म.प्र.)
- सुश्री दिशा नवानी, टी.आई.एस.एस., मुम्बई
- श्री राममूर्ति, हिन्दी हेडमास्टर, शा. हाईस्कूल करकुर, तहसील डेरा बसई–2 ज़िला एस.ए.एस. नगर पंजाब

### चित्रांकन एवं डिज़ाइनः

- सुश्री बोस्की जैन, एकलव्य, भोपाल
- सुश्री इन्दु श्रीकुमार, एकलव्य, भोपाल

### समन्वयकः

- डॉ. रीता राय, व्याख्याता, एस.सी.ई. आर.टी. बिहार, पटना

### समीक्षकः

- डॉ. परमानन्द सिंह, शिक्षक, स्टूडेन्ट साइंटिफिक हाई स्कूल, पटना
- डॉ. विनय कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, एस.एम.डी. कॉलेज, पुनपुन, पटना

# आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा– 2005 में दिये गये निर्देशों एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पुस्तक–सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग–3 विकसित की गई है। पुस्तक दिये गये पाठ्यक्रम के अनुरूप चरणबद्ध कार्यशालाएं आयोजित करके विभिन्न शिक्षकों, विषय–विशेषज्ञों एवं साधनसेवियों की देख–रेख में तैयार की गई है। पुस्तक निर्माण के क्रम में यह ध्यान रखा गया है कि बच्चों में खोजी प्रवृत्ति तथा मुद्दों को समझने की क्षमता और कौशलों का विकास हो। साथ ही साथ उनमें तथ्यों की अवधारणात्मक समझ विकसित हो। पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि पूर्व की कक्षाओं की विविधता, समानता जैसी अवधारणाओं के आधार पर आठवें वर्ग में सामाजिक न्याय की पहलुओं पर समझ बनाई जा सके। लोकतंत्र के इन आधारों की विवेचना करते वक्त यह भी ध्यान में रखा गया है कि भारत की सामाजिक संरचना में लोकतंत्र के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलुओं में किस प्रकार सामंजस्य बनता है। इसे भी उभारा जाए। सामाजिक न्याय के बिन्दुओं के इर्द–गिर्द लोकतांत्रिक संस्थाएँ किस प्रकार समाज की अपेक्षाओं को पूरी करती हैं, इस पर भी चर्चा हो। जहाँ एक ओर सहकारिता के माध्यम से सामाजिक सहयोग की बात बतायी गयी है वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा दी गयी खाद्य सुरक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में प्रयास किया गया है कि सभी इकाई रोचक हों तथा बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़े प्रतीत हों। पुस्तक लेखन में यह शैली पुस्तक अध्ययन के प्रति बच्चों को उन्मुख और जिज्ञासु बनाने की एक कोशिश है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक मुद्दों को समझने का विकास करना भी पुस्तक का अभीष्ट लक्ष्य है।

पुस्तक में यह भी प्रयास किया गया है कि उपयुक्त स्थानों पर अभ्यास और गतिविधियों का भरपूर समावेश हो। बॉक्स में सुसंगत और सटीक बिन्दुओं पर प्रश्न और जिज्ञासा द्वारा अनुप्रयोगों के विकास की भी कोशिश की गयी है।

इस पाठ्यपुस्तक को तैयार करने में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् एवं यूनिसेफ का सराहनीय योगदान रहा है। पाठ्यपुस्तक की पांडुलिपि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के संकाय सदस्यों, विषय विशेषज्ञों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली के साधनसेवियों, विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर एवं एकलव्य, भोपाल के साथ गहन विचार विमर्श कर बना है। पुस्तक के लेखकगण, विषय–विशेषज्ञ, समन्वयक, समीक्षक, चित्रकार, डिज़ाइनर एवं एस.सी.ई.आर.टी. का अध्यापक शिक्षा विभाग विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं जिनके अथक प्रयत्न के फलस्वरूप पुस्तक इस स्वरूप में उभरकर आ सकी है।

अन्त में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं शिक्षाविदों से आग्रह है कि पुस्तक को देखें–समझें–परखें और इसे बेहतर बनाने हेतु अपने अमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएं।

**आपके सुझावों और विचारों की हमें प्रतीक्षा रहेगी।**

निदेशक
**राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्**
**बिहार, पटना-6**

## हमारा संविधान
### प्रस्तावना

**ह**म, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी ) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

## हमारा संविधान
### हमारा मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य—भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

(I) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ii) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(iii) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(iv) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(vi) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उनका परिरक्षण करे;

(vii) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(ix) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(xi) माता–पिता या अभिभावक जैसी भी स्थिति हो, अपने उस बच्चे की, जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, शिक्षा देने का अवसर प्रदान करे;

# विषय सूची


| क्र॰ संख्या | अध्याय का शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | भारतीय संविधान | 1 |
| 2. | पंथनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार | 15 |
| 3. | संसदीय सरकार (लोग व उनके प्रतिनिधि) | 27 |
| 4. | कानून की समझ | 38 |
| 5. | न्यायपालिका | 48 |
| 6. | न्यायिक प्रक्रिया | 56 |
| 7. | सहकारिता | 68 |
| 8. | खाद्य सुरक्षा | 78 |

## विषय – सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक जीवन (भाग – 3 )

वर्ग -VIII

### अधिगम प्रतिफल (Learning outcomes )

| | |
|---|---|
| LO08CI01 | भारतीय संविधान के संदर्भ में सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक मुद्दों का विश्लेषण करते हैं । |
| LO08CI02 | मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों को समुचित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं । |
| LO08CI03 | संसदीय सरकार की विशेषताओं को बताते हैं तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकारों को समझते हुए उनमें अंतर स्पष्ट करते हैं । |
| LO08CI04 | लोकसभा की चुनावी प्रक्रिया को समझते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र को मानचित्र पर अंकित करते हैं तथा स्थानीय सांसद का नाम जानते हैं। |
| LO08CI05 | कानून निर्माण की प्रक्रिया एवं न्यायिक प्रक्रिया को उदाहरण के साथ समझते हैं। |
| LO08CI06 | दलितों के विरूद्ध शोषण एवं हिंसा की स्थिति में हरिजन थाना की व्यवस्था को जानते हैं । |
| LO08CI07 | दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों को समझते हुए FIR दर्ज कराने की समझ विकसित करते हैं। |
| LO08CI08 | सहकारिता की अवधारणात्मक समझ तथा सहकारी समितियों के कार्य–पद्धति के बारे में जानते हैं । |

अध्याय
1

# भारतीय संविधान

## संविधान क्या और क्यों

क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है, विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं, इसमें एक प्रधान अध्यापक एवं कई अध्यापक–अध्यापिकाएँ होते हैं जो अलग–अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती हों, परंतु उतनी साधारण हैं नहीं क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे–कानून होते हैं। जैसे-बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना, हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होना, प्रत्येक विषय के लिये योग्य शिक्षक/शिक्षिकाओं तथा पूरे विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक प्रधान शिक्षक का होना ।

विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया, ये भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाये जाते हैं। जैसे – शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे-6–14 वर्ष के लड़के/लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 3 कि.मी. के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र : शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए।

1. आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए।
2. विद्यालय में शिक्षक–शिक्षिका जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी चर्चा कर सूचीबद्ध करें ।
3. ज़रा सोच कर बताइए कि आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा।

अब सोचने वाली बात यह है जिस तरह एक विद्यालय को चलाने के लिए इतने सारे नियमों की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती हैं। देश को संचालित करने वाले नियमों–कानूनों के समूह को संविधान कहते हैं। सरकार, संस्थाएँ और नागरिक सभी लोगों का कर्त्तव्य है कि संविधान का पालन करें।

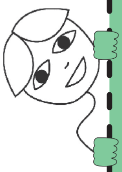

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर अपने वर्ग में अलग–अलग समूह में समूह चर्चा कीजिए और उसकी मुख्य बातों को चार्ट पेपर पर लिख कर अपनी कक्षा में सजाइए।

इसके लिए पहले आपको कई स्रोत जैसे अखबार, इंटरनेट या अपने शिक्षकों से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी।

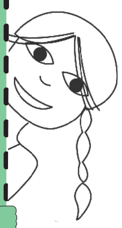

भारतीय संविधान अँग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। यह भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग–अलग क्षेत्र के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है।

भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता है कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन–कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या–क्या कर्त्तव्य होने चाहिए तथा उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए, जिससे सभी का भला हो सके।

अब कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल नामक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाय। उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो। सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले और हर काम के लिए उचित मेहनताना मिले।

यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थितियों के अनुसार दिए गए इलाके के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिया जाये तो अगले पृष्ठ में दी गई बातों को आप कैसे तय करेंगे?

1. दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप नहरवाल इलाके के लिए कौन से कानून बनाएंगे ?
2. यह तो हो गई कानून बनाने की बात, अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाये?

ऊपर दी गई चित्रकथा के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजिए।

1. सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने दिया?
2. अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि क्या उन्होंने कभी ऐसी घटना देखी है?
3. आपके विचार में छोटी उम्र में बच्चों को काम पर क्यों नहीं लगाना चाहिए?

जिस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है। देश के सुचारू संचालन हेतु बनाये गये नियमों कानूनों को संविधान कहते हैं। संविधान में नागरिकों के अधिकारों व कर्त्तव्यों का वर्णन होता है। यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए।

संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं है जो समाज के राजनैतिक पहलू को बताता है बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है जिससे सभी नागरिकों खास तौर से समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के विकास को बल मिलता है। अनुसूचित जाति और जन जातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण आदि जन हितैषी योजनाएँ संविधान के दिशा निर्देश के आलोक में ही संचालित की जा रही हैं।

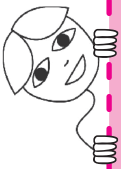

नीचे दी गई घटनाओं को ध्यान से पढ़ें। शिक्षिका की मदद से यह पता लगायें कि इन घटनाओं के शिकार लोगों की भारतीय संविधान कैसे मदद करता है?

घटनाएँ :

1. दहेज के लिए विवाहिता को जला देना।
2. 10 वर्ष के बच्चे से चाय की दुकान में काम कराना।
3. बिना कोई कारण बताये 24 घण्टे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बन्द रखना।
4. किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिये जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना।
5. सरकार द्वारा किसानों की ज़मीन को बिना उचित मुआवज़ा दिए अधिगृहीत कर लेना।

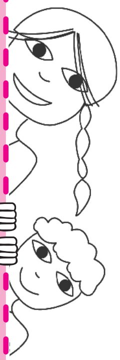

1. संविधान किसे कहते हैं?
2. बुनियादी नियम क्या होते हैं?
3. किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन–कौन सी बुनियादी सुविधाएँ दी जाती हैं।
4. अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनाइए।

## भारतीय संविधान का ऐतिहासिक सन्दर्भ

अब तक हमने पढ़ा कि संविधान क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अध्याय के इस भाग में हम संविधान निर्माण के ऐतिहासिक सन्दर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन–कौन सी ऐतिहासिक घटनायें हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। वह प्रभावशाली है या नहीं? उस देश में रहनेवाले लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उसमें शामिल किया गया है या नहीं? उस देश के विभिन्न वर्गों व समाजों के हितों को ध्यान में रखा है या नहीं? सबसे अहम मुद्दा है कि संविधान बना कैसे और उसे बनाने की प्रक्रिया में उस देश के सभी वर्गों के लोग शामिल हो पाये थे या नहीं?

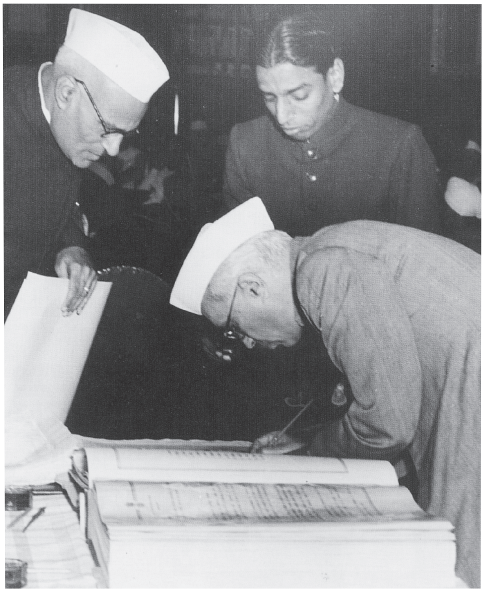
संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू

सन् 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व अन्य राजनैतिक संगठनों ने संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की माँग प्रारंभ की। कांग्रेस के नेता अँग्रेज़ी सरकार की भारत के बारे में बनायी जा

रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अँग्रेज़ सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैण्ड के नागरिकों को दिए हैं, वे अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने का अधिकार, आदि।

भारत के लोगों की शुरूआती माँगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली नेशनल असेम्बली में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाये। असेम्बली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाये एवं भारत के न्यायाधीशों को इंग्लैण्ड के नागरिकों के खिलाफ भी मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। इसी बीच घटी अन्य घटनाओं ने भी संविधान की मांग को प्रभावित किया।

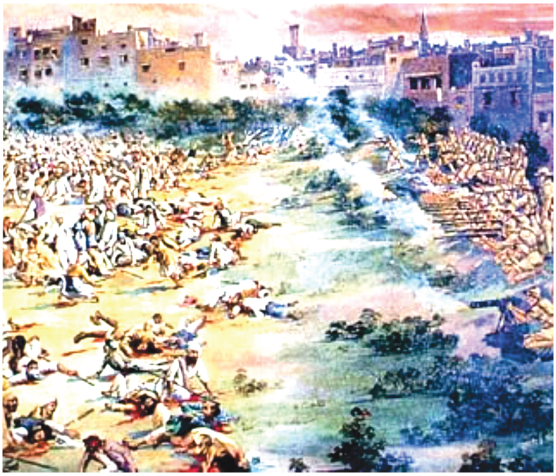

जलियाँवाला बाग हत्याकांड

अँग्रेज़ों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना

1. ऊपर दिए गए चित्रों को देख कर आपकी अँग्रेज़ी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है?
2. क्या आपको लगता है कि अँग्रेज़ी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया है? कैसे?
3. किस चीज़ की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था?

4. अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो क्या इस तरह लोगों को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता?
5. यदि उस समय भारत आज़ाद होता और उसका अपना संविधान होता, तो क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था?

1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। सन् 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के आठ अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। इन दोनों प्रस्तावों में कुछ बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया था, जैसे–सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गयी । द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह माँग और तेज हो गयी। अंततः दिसम्बर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके अंतरिम अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा थे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनाये गये। ये दोनों विभूतियाँ बिहार के निवासी थे।

1. भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने स्पष्ट मांग कब पेश की?
2. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस द्वारा प्रस्तावित संविधान की रूपरेखा में किन–किन बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया था।
3. भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में क्या–क्या मांगें रखीं?

## कुछ जानने योग्य बातें

- भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे।

2. संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा थी, जिसमें 389 सदस्य थे। देश के विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी।

- भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा किया गया।
- 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया।

# भारत का संविधान

## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,** प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी **इस संविधान सभा में** आज, तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्ग–शीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा एवं इस **संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

## संविधान के बुनियादी मूल्य

किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों को बुनियादी मूल्य कहा जाता है जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हों और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हों। भारत के संविधान के निर्माण के समय भी ऐसे आदर्शों को संविधान के मूल्यों के रूप में पहचाना गया, जिन आदर्शों को भारत के लोगों ने सदियों से अपनाया था। ये आदर्श और विश्वास आज़ादी के आन्दोलन के दौरान भी भारत के लोगों के संघर्ष का मुख्य केन्द्र रहे।

इन मूल्यों में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व पंथ निरपेक्षता प्रमुख मूल्य हैं। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान सभा द्वारा स्वीकार किये जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं उसे संविधान की उद्देशिका में लिखा गया।

1. किसी भी देश के संविधान में आम तौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है?
2. भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन–कौन से हैं?

## लोकतंत्र

भारत में आज़ादी के दौरान एक आम सहमति बन चुकी थी कि भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र पर आधारित होगी जिसमें सभी लोगों की समान भागीदारी हो। भागीदारी का क्या अर्थ होता है, इसको पढ़ने के लिये हम एक अनुभव पर विचार करते हैं।

## एक अनुभव

पलक के स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था। शिक्षिका ने सभी बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया सारे बच्चे पूरी तैयारी के साथ आए थे। यदि उनके सारे कार्यक्रमों को शामिल किया जाता तो पूरा दिन लग जाता और किसी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाता तो बच्चों के कोमल हृदय को ठेस पहुँचती। शिक्षिका ने बच्चों की आम सहमति से 10 बच्चों की एक टोली को कार्यक्रम की रुपरेखा बनाने का भार सौंपा।

उन्होंने सभी बच्चों की बातों को सुना और आम सहमति से कार्यक्रम का चयन किया। कार्यक्रम के चयन में सभी ने भागीदारी निभाई इसलिए सारे बच्चे बहुत प्रसन्न थे और कार्यक्रम के आयोजन का इंतज़ार कर रहे थे।

1. बच्चे क्यों खुश थे?
2. शिक्षिका ने सभी बच्चों के विचार क्यों लिए?
3. कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षिका स्वयं बनाती तो क्या होता?
4. क्या बच्चे अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे?
5. कार्ययोजना बनाने में क्या सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी?
6. इस अनुभव से आपको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में क्या समझ आता है? शिक्षिका से चर्चा कीजिए।

## स्वतंत्रता

लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार उस देश में निवास करने वाले लोगों की स्वतंत्रता से है। ज़रा सोचिए, यदि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाते तो क्या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनके हितों की रक्षा कर पाते? यही कारण है कि नागरिक स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में एक विशेष स्थान दिया गया है।

स्कूल जाती हुई बच्चियां

पटना साहिब

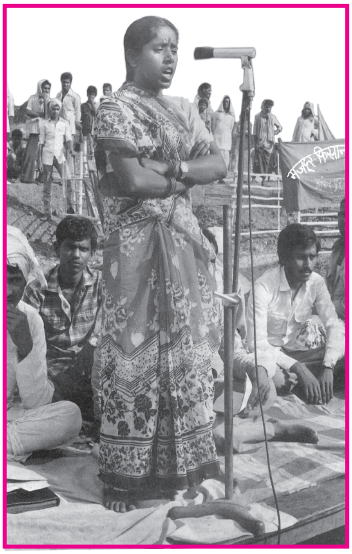

अरवल, बिहार खेत मज़दूर यूनियन की एक सभा को संबोधित करती हुई महिला कार्यकर्ता

1. स्वयं करें और बतायें –

   पुस्तक में दी गई संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और दिए गए चित्रों को देखकर बतायें कि इनमें संविधान की कौन सी स्वतंत्रता झलकती हैं।

2. क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है? यदि किसी भी व्यक्ति या संस्था के कार्यों से दूसरे के हित को खतरा पहुँचता है तो क्या ऐसी स्वतंत्रता समाज के हित में सीमित की जा सकती है?

## समानता की समझ

भारतीय समाज में जाति, लिंग तथा धन की असमानताएं बहुत स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती हैं। आज़ादी के आन्दोलन के दौरान हमारे नेताओं ने इन असमानताओं को दूर करने के लिए कई तरह के प्रयास किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चन्दा लेकर सभी को सदस्यता देना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। संविधान सभा द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो समानता के मूल्य को संविधान में उचित स्थान देने की कोशिश की गई। इस मूल्य को स्थापित करने के लिए संविधान में मूल अधिकारों व राज्य के लिए बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का कई जगह विशेष उल्लेख किया गया है।

1. संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और बतायें कि संविधान में कौन–कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है?
2. नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन–कौन सी असमानताएं दिखाई दे रही हैं।

- अपहरण के मामले में चार लड़के गिरफ्तार होते हैं। उनमें से श्याम एक धनी परिवार का इकलौता लड़का है। मजिस्ट्रेट सभी को एक ही सज़ा सुनाता है।
- एक गाँव में स्थित मंदिर में कुछ खास समुदाय के लोगों को नहीं जाने दिया जाता।
- आपके पड़ोस के स्कूल में आपके छोटे भाई का नामांकन नहीं किया जाता क्योंकि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
- किसी निजी नौकरी के लिए आपको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप किसी खास समुदाय के हैं।

## सामाजिक न्याय

भारतीय समाज में पाई जाने वाली तरह–तरह की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने सामाजिक न्याय को एक प्रमुख मूल्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के पिछड़े हुए वर्गों को समाज के बाकी वर्गों के बराबर खड़े करने की कोशिश से है ताकि कई हज़ार सालों से इन वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप देने के लिए संविधान में कई तरह की बातें लिखी गईं हैं जिनके आधार पर केन्द्रीय और राज्य सरकारें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं बना रही हैं।

हमारे बिहार राज्य में भी राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। जैसे – अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्र–छात्राओं के लिए आवास की व्यवस्था, खास ज़रूरतों वाले लोगों को विशेष सुविधाएँ प्रदान करना जैसे – रैम्प बनाना, पहिये वाली कुर्सियों का प्रबंध इत्यादि।

1. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृति समानता के सिद्धांत के विरूद्ध क्यों नहीं जाती? अपनी शिक्षिका की सहायता से इस पर चर्चा कीजिए।
2. अपने स्कूल में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी एकत्र कीजिए। ये योजनाएं क्या हैं और क्यों चलाई जाती हैं? समूह में चर्चा कीजिए।

## पंथ निरपेक्षता

भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों में पंथ निरपेक्ष समाज की कल्पना की गई है। इसकी चर्चा अगले अध्याय में विस्तार से की जायेगी।

भारतीय संविधान विश्व में अपनी कई विशेषताओं के कारण जाना जाता है जिसमें मुख्य रूप से संघवाद, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन, शक्तियों का बँटवारा एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रमुख हैं। इन सभी बिन्दुओं पर हम विस्तृत चर्चा आगे के अध्यायों में करेंगे।

## अभ्यास के प्रश्न

1. एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है?
2. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी?
3. भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों?
4. संविधान में दिए गए समता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हें निम्न तालिका में भरिये।

| समता का मूल्य | सामाजिक न्याय |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

5. नीचे दिए गद्यांश को पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8.30 बजे शुरू हुई। माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सभा की अध्यक्षता की। इस सभा में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने विचार प्रस्तुत किये, "समिति में दो विचारधाराएं थीं। बड़ी तादाद में विख्यात वकील थे, जो बहुत बारीकी से हर वाक्य, हर शब्द, यहाँ तक कि विराम और अल्प विराम की जाँच कर रहे थे। ये दोनों विचारधाराएं दो अलग–अलग दृष्टिकोणों से मामले को देखती थीं। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हों, अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सकें। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। दूसरी विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें

आधारभूत माना जा सके। दोनों विचारधाराओं में काफी बहस हुई अन्त में एक बीच का रास्ता निकाला गया, जिसे एक अच्छा मध्यम मार्ग माना गया। दोनों विचारधाराओं के लोगों ने सिर्फ एक देश के मूल अधिकारों का अध्ययन नहीं किया बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मूल अधिकारों का अध्ययन किया। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहाँ तक संभव हो, उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए, जिन्हें उचित माना जा सके। इन बातों पर इस सदन में मतभेद में हो सकता है, सदन को हर धारा पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करने, विकल्प सुझाने, संशोधन के सुझाव देने और निरस्त करने का अधिकार है।"

प्रश्न

1. संविधान सभा की मूल अधिकारों की समिति में कौन–कौन से विचार प्रमुख रूप से उभर रहे थे?
2. आप इनमें से किस विचार के साथ सहमत हैं और क्यों?
3. संविधान सभा में सदस्य किस तरह किसी निर्णय पर पहुंचते थे, गद्यांश के आधार पर अपने शब्दों में लिखिये।

***

## राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

i) सभी तंबाकू उत्पाद हानिकारक हैं।

ii) कोई भी तंबाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है।

iii) बीड़ी उतनी ही हानिकारक है जितनी कि सिगरेट।

iv) सेकेंड हैंड धूम्रपान भी जानलेवा होता है।

v) तंबाकू चबाने से मुँह के कैंसर सहित कई रोग हो सकते हैं।

अध्याय 2

# पंथनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार

क्या आपकी कक्षा व विद्यालय में अलग–अलग पंथ को मानने वाले बच्चे हैं? अपनी शिक्षिका की मदद से उन मतों, पंथो की सूची बनाइए जो आपके घर मोहल्ले, कक्षा व विद्यालय के लोग मानते हों। इनके अलावा भी आपको यदि कुछ अन्य मतों/पंथों की जानकारी है तो वे भी आप इस सूची में शामिल कर सकते हैं। अब इस सूची को देखकर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे आसपास अलग–अलग मतों/पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि हम पूरे देश की बात करें तो अलग–अलग मतों/पंथों को मानने वाले लोगों की सूची और भी लंबी हो जाएगी।

भारत जैसे विशाल देश में कई मतों/पंथों और धर्मो को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी को अपना मत– पंथ प्यारा लगता है। हाँ, यह बात भी गलत नहीं है कि कई बार लोग अपना मूल मत पंथ या धर्म छोड़कर किसी अन्य मत पंथ या धर्म को अपना लेते हैं।

अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं के लिए इस देश के लोगों की पंथीय या धार्मिक मान्यताएं और उनका समान रूप से आदर करने का मुद्दा कितना दिलचस्प और अहम् रहा होगा।

आप सोच रहे होंगे, भला ऐसा क्यों? यह इसलिए क्योंकि कई देशों में समय–समय पर मत, पंथ या धर्म के नाम पर बहुत अत्याचार हुए हैं। हमारे अपने देश में भी अँग्रेजों की नीतियों की वजह से हिन्दूओं और मुसलमानों में भी अनेक भेदभाव उत्पन्न हुए जिसका नतीजा आखिर में भारत के विभाजन के रूप में नजर आया ।

जब भारत का संविधान बनाने की कोशिश की जा रही थी तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि देश की पंथीय और धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए। साथ ही सभी लोगों को अपना–अपना मत, पंथ और धर्म मानने तथा उनके प्रचार–प्रसार करने की आजादी दी जाए।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की उद्देशिका में सम्मिलत किया गया ।

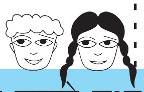

क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने मत, पंथ और धर्म को मानने तथा उसका प्रचार–प्रसार करने की छूट दी गई है? ऊपर दिए गए रिक्त स्थान में इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए।

## पंथनिरपेक्षता की आवश्यकता

भारत में विश्व के आठ प्रमुख मतों, पंथों या धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये हैं हिन्दू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी।

भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि वे यह कैसे सुनिश्चित करें कि एक मत/पंथ या धर्म के नाम पर किसी दूसरे मत, पंथ या धर्म को दबाया नहीं जाएगा। इस बात का डर अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहाँ किसी एक मत, पंथ या धर्म को मानने वाले लोग बहुमत में हों और उसी मत, पंथ या धर्म के लोगों के हाथ में सत्ता भी हो। इसलिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी भी मत, पंथ या धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीनी जाएगी ।

कई बार देखा गया कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं, उस मत, पंथ या धर्म के रीति–रिवाज़ों का विरोध करते हुए या उसे नकारते हुए किसी अन्य उस मत, पंथ या धर्म को अपना लेते हैं।

इसके अलावा यह भी जरूरी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी एक मत, पंथ या एक धर्म को महत्व नहीं देगी और कानून, नियम व नीतियों को किसी एक मत, पंथ या धर्म के आधार पर नहीं बनायेगी।

इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था।

1. भारत में मुख्य तौर पर किन–किन धर्मों के लोग रहते हैं?
2. भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाते समय धर्म सम्बंधित क्या चुनौतियां थीं?
3. भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं?

## पंथनिरपेक्षता का क्या अर्थ है

पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी–अपनी पंथीय एवं धार्मिक मान्यताओं को अपनाने की पूरी आज़ादी है। राज्य के सामने सभी मत, पंथ और धर्म समान हैं। किसी एक मत, पंथ या धर्म को मानने वाले लोगों को संख्या बल के कारण राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जायेंगी। भारतीय राज्य किसी भी मत, पंथ या धार्मिक विचारों, मान्यताओं और विश्वासों के आधार पर शासित नहीं होगा। मत, पंथ या धर्म को राज्य से अलग रखने के इसी विचार को पंथ निरपेक्षता कहते हैं।

उदाहरण के लिये – हमारे देश में यह कानून है कि 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक वोट डालने के हकदार हैं। इसी तरह शिक्षा के अधिकार के कानून के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है।

पंथनिरपेक्षता का यह भी मतलब है कि राज्य या सरकार के किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, ज़िला एवं तहसील कार्यालय, अस्पतालों आदि में ऐसे प्रतीक या चिह्न जैसे मूर्तियाँ, तस्वीरें, चित्र, चार्ट, नारे एवं कथन आदि नहीं लगाये जायेंगे जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हों और उस धर्म के प्रचार–प्रसार में सहायक हों।

हमारा संविधान कुछ धर्मों के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उस धर्म के लोगों को सामान्य नियमों में कुछ रियायतें भी देता है। आम तौर पर हमारे यहाँ यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर नहीं जा सकता पर सिख धर्म के मानने वालों को इस नियम में रियायत दी गई है। वे अपने साथ 6 इंच तक की कृपाण रख सकते हैं क्योंकि कृपाण रखना सिख धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसी तरह इस्लाम धर्म को माननेवालों को भी सेना में दाढ़ी रखने की छूट दी गयी है। जबकि सामान्य नियम यह है कि सेना में कोई भी व्यक्ति दाढ़ी नहीं रख सकता।

अब सोचने वाली बात यह है कि कई धर्मों में कुछ ऐसे रीति–रिवाज़ या प्रथाएं हो सकती हैं जो अमानवीय हों? तो क्या इन परिस्थितियों में भी राज्य तटस्थ रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।

1. एक उदाहरण देकर धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाइये।
2. एक सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष किसी एक धर्म की तस्वीरों से सजाया गया है। क्या यह तथ्य धर्मनिरपेक्षता के किसी पहलू का उल्लंघन है? कारण सहित समझाइये।
3. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। फिर भी यहाँ कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें क्यों दी गई हैं?

ऐसे हालात में राज्य को पूरा अधिकार है कि वह इन अमानवीय रीतियों के विरूद्ध कोई ठोस कदम उठाए जिससे समाज में शांति बनी रहे तथा किसी व्यक्ति या सम्प्रदाय के साथ मत, पंथ या धर्म के नाम पर नाइंसाफी न हो।

अधिकांश मत, पंथ या धर्म एक ही सम्प्रदाय वाले नहीं होते बल्कि वह भी कई सम्प्रदायों में बंटे हुए होते हैं जैसे-जैन धर्म में श्वेतांबर व दिगंबर। पंथनिरपेक्षता का मूल्य इन भिन्नताओं के विषय में भी वही नीती अपनाता है जो कि अन्य मतों, पंथों या धर्मों के बीच समानता रखने के लिए आवश्यक है। आइये इसको बेहतर समझने के लिए एक कहानी पढ़ें।

**सरोज, हिरामणी नाम के देश में रहती हैं**, जिसकी जनसंख्या लगभग दो करोड़ है। वैसे तो यहां पर चार अलग–अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से परिमल धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। इन सभी धर्मों के अपने–अपने भगवान और अपनी–अपनी धार्मिक विचारधाराएं हैं लेकिन परीमल धर्म के अलावा राज्य ने अन्य धर्मों के लोगों पर कई तरह की पाबन्दियां लगा रखी हैं।

सरोज का परिवार मीनल धर्म को मानता है और उसे अक्सर यह लगता है कि शायद उसका धर्म परिमल धर्म से किसी तरह से कम है। तभी तो जो आज़ादी व छूट परिमल धर्म के लोगों को मिली हुई है, वह उसके व हिरामणी में अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के पास नहीं है। इसी बात से परेशान एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है, "माँ हमारे देश में हमारा अपना कोई सार्वजनिक धार्मिक स्थान क्यों नहीं है, जहाँ जा कर हम पूजा कर सकते हैं।"

इस पर सरोज की माँ ने समझाया, "हमारे देश के संविधान में परिमल धर्म को ही राज्य का मुख्य धर्म माना गया है और उसी धर्म के लोगों को अधिक महत्व दिया गया है व इस हेतु उन्हें खास हिदायतें दी गई हैं।"

"जैसे, परिमल धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग अपने घरों में तो पूजा–पाठ कर सकते हैं लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा होकर, अपना कोई भी धार्मिक त्योहार नहीं मना सकते।"

"इसके अलावा, हिरामणी में सरकारी छुट्टियां केवल परिमल धर्म के पर्वों के लिए ही रखी गई हैं, जैसा कि तुमने अपने विद्यालय में देखा होगा, कि वहाँ पर उन्हीं के देवी–देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये आज़ादी उन्हें सरकारी कार्यालयों, अस्पताल व कोर्ट कचहरी में भी दी गई है।"

सरोज तुनक कर बोली, "यह बात तो बिल्कुल गलत है माँ।"

"अरे बेटी, इसे छोड़, हमारे देश के प्रमुख पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि पर केवल परिमल धर्म के लोग ही बैठ सकते हैं।"

"तो माँ, क्यों न हम अपना धर्म छोड़ कर परिमल धर्म को अपना लें?"

"नहीं, हमें इसकी इजाज़त नहीं है।"

"तो माँ, हमारा धर्म क्या किसी बात में परिमल धर्म से कम है?"

"नहीं, ऐसा नहीं है। सभी धर्म अलग–अलग विचारधाराओं पर आधारित होते हैं। कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता।"

"तो माँ क्या परिमल धर्म के लोगों को सिर्फ इस वजह से विशेष छूट मिली हुई है क्योंकि इस देश में उनकी संख्या अधिक है?"

"हाँ, सरोज, हमारे संविधान को बनाने वाले समूह में भी इसी धर्म के लोगों का बोलबाला था और आज तक हमारे देश में जो भी सरकार बनी, उनमें परिमल धर्म के लोगों की संख्या अधिक रही। इसलिए उन्होंने अपना धार्मिक प्रभाव बनाए रखा।"

## भारत में पंथनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय

पंथनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के सम्बंधों पर चर्चा करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि इन अधिकारों को शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे? भारत में धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ सिद्धांत के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया है बल्कि इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए अन्य कई तरह की कोशिशें की गई हैं।

**मौलिक अधिकार :** मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आज़ाद जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं।

उदाहरण के लिए शिक्षित होने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने–जाने की आज़ादी, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने की स्वतंत्रता आदि कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनके पूरा न होने पर कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन नहीं जी सकता।

इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया है जो संविधान में दिए गए उनके मूल अधिकारों के खिलाफ है, तब वह सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। सर्वोच्च अदालत यह तय करती है कि वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं और इन्हें 6 भागों में बाँटा गया हैं जिन्हें नीचे दिया गया है:-

1. **समता का अधिकार** – कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुँच का अधिकार होगा। रोज़गार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी इसी के तहत उन्मूलन कर दिया गया है।

2. **स्वतंत्रता का अधिकार** – इस अधिकार के अन्तर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने–जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है।

3. **शोषण के विरूद्ध अधिकार** – संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मज़दूरी पर रखना अपराध है।

4. **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार** – सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धर्म अपनाने, उसका प्रचार–प्रसार करने का अधिकार है।

5. **सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार** – संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने–अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं।

6. **संवैधानिक उपचार का अधिकार** – यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लघंन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है।

1. समता के मौलिक अधिकार में समता के किन–किन बिन्दुओं को शामिल किया गया है
2. आप नीचे लिखी बातों में से कौन–कौन सी बातों को समता के अधिकार का हनन मानेंगे? चर्चा कीजिए।
   क. आप किराए पर मकान लेना चाहते हैं और मकान मालिक आपकी जाति और धर्म जानना चाहते हैं।
   ख. कुछ समुदायों को गांव के भीतर नहीं, बल्कि गांव के बाहर घर बनाने को कहा जाता है?
   ग. कुछ समुदाय के सदस्य कई पूजा स्थानों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जायेगा या मारा–पीटा जायेगा।
3. मज़दूरों के संगठन क्यों बनाये जाते हैं?
4. लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं?
5. लोग बंधुआ मज़दूर क्यों बनते हैं?
6. किन परिस्थितियों में किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर सरकार कानून बनाकर रोक लगा सकती है?
7. गरीबी के कारण कम मज़दूरी पर काम करने के लिए मजबूर होने और बेगार में क्या अंतर है?

## मौलिक अधिकारों द्वारा पंथनिरपेक्षता को व्यावहारिक रूप देने की कोशिश

भारतीय राज्य द्वारा पंथनिरपेक्षता को लागू करने के लिए तरह–तरह के उपाय किये गये हैं। इन उपायों में मौलिक अधिकारों द्वारा पंथनिरपेक्षता को लागू करने की कोशिश एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों में से समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मज़बूत करने में सहायक हुए हैं।

## समता का मौलिक अधिकार व पंथनिरपेक्षता:

समता के मौलिक अधिकार में मुख्य तौर पर तीसरी बात सामाजिक समता की कही गयी है। सबसे पहले यह कहा गया है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। इसका अर्थ यह है कि कानून के द्वारा किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

इसमें यह बात भी शामिल है कि हमारे देश में ऐसे कानून बनाये जायेंगे जो देश के सभी नागरिकों पर लागू हों तथा ये मत/पंथ किसी एक धर्म के विश्वासों और मान्यताओं पर आधारित न हों।

समता के मौलिक अधिकार में दूसरी बात नौकरियों में समान अवसर देने की कही गयी है जिसका अर्थ है कि नौकरियां देते समय राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

नौकरियों में सभी को समान अवसर देने के लिए राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गई जातियों, वर्गों, महिलाओं और विकलांगों के लिए नौकरियों के कुछ पदों को आरक्षित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आरक्षित पदों पर केवल संबंधित वर्गों के लोगों की ही नियुक्ति की जायेगी।

संविधान में इस मौलिक अधिकार के तहत तीसरी बात सामाजिक समता की कही गई है। सामाजिक समता को सुनिश्चित करने के लिए यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, सिनेमा हॉल, होटलों, पूजा स्थलों आदि के उपयोग से किसी को रोका नहीं जायेगा। इसके अंतर्गत संविधान में जाति के आधार पर माने जाने वाले छुआछूत को समाप्त कर उसके व्यवहार और प्रचार–प्रसार को दण्डनीय अपराध बना दिया गया है।

सामाजिक समानता के मौलिक अधिकार में धर्म को समानता के सन्दर्भ में उल्लिखित करना इस बात का प्रमाण है कि संविधान में पंथनिरपेक्षता को प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया गया है।

1. संविधान में आरक्षण क्यों और किसके लिए रखा गया है? क्या यह समानता के सिद्धांत के विरूद्ध नहीं है? कारण सहित समझाइये।
2. समता के ऐसे दो प्रावधानों के बारे में बताइये जिसमें पंथनिरपेक्षता के महत्व की झलक दिखती है।

## धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व पंथनिरपेक्षता

धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में यह कहा गया है कि हर एक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से किसी भी मत, पंथ या धर्म को मान सकता है। उसे किसी भी मत, पंथ या धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता । यह पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी मत, पंथ या धर्म को माने या न माने।

धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार यह भी विश्वास दिलाता है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य अनुदान प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों आदि में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा, धार्मिक समारोह या धार्मिक गतिविधि नहीं की जा सकती। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सरकार का कोई अपना मत, पंथ या धर्म नहीं होता। सरकार न तो किसी मत, पंथ या धर्म को बढ़ावा दे सकती है न ही किसी मत, पंथ या धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर सकती है।

1. नीचे लिखी तालिका को शिक्षक/शिक्षिका की सहायता से पूरा करें:

| पंथनिरपेक्षता के बिन्दु | धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के मूल बिन्दु |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## अल्पसंख्यकों के संस्कृति व शिक्षा सम्बंधी अधिकार और पंथनिरपेक्षता

नीचे दिए गए चित्र में देखो कि शिक्षिका बहुमत के आधार पर कैसे निर्णय लेती है। क्या यह सही था? हमारे संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मत के आधार पर निर्णय लिया जाए।

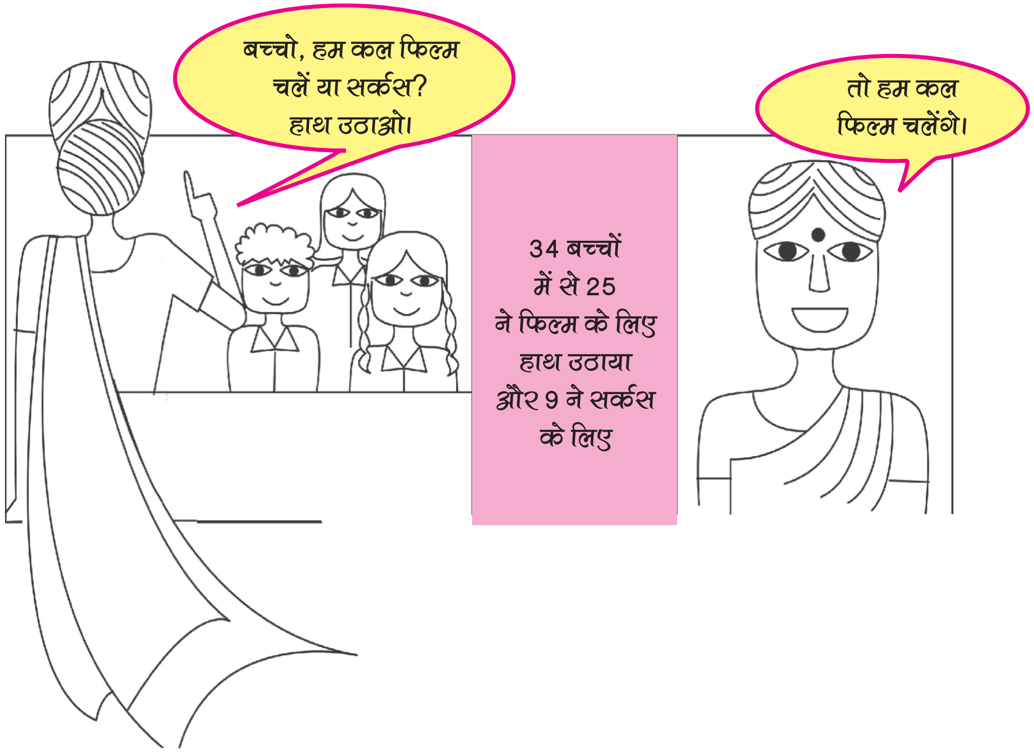


इसके साथ–साथ संविधान में यह भी ध्यान रखा गया है किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नाइंसाफी न हो बल्कि संविधान के तरफ से उन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। जैसे, कि सभी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को वे धर्म एवं भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है।

आम तौर पर भाषा और धर्म के आधार पर यह किया जाता है कि किन्हें अल्पसंख्यक समूह माना जाएगा। कोई अल्पसंख्यक है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहां रहते हैं। उदाहरण के लिए, मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक नहीं माने जायेंगे लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जायेंगे।

1. अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए कौन–कौन से अधिकार दिये गये हैं।
2. अल्पसंख्यकों को दिये गये संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से पंथनिरपेक्षता कैसे मज़बूत होगी? उदाहरण देकर समझाइये।

अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए, यदि कन्नड़ भाषी लोग अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए बिहार में कन्नड़ माध्यम का स्कूल चलाना चाहें, तो उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता।

अगर ऐसी संस्थाएं अनुदान व मान्यता की जरूरी शर्तें पूरी करती हैं तो सरकार उन्हें अनुदान और मान्यता भी देती है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के कारण भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति एवं भाषा को संरक्षित एवं विकसित करने का अवसर मिला।

## पंथनिरपेक्षता को संविधान की उद्देशिका में शामिल करना

## व्यक्तिगत कानूनों को पंथनिरपेक्षता के आधारों पर बनाने की कोशिश

भारत में पंथनिरपेक्षता का प्रचार करने के लिए 1948 से ही निरंतर प्रयास किया जा रहा है। संपत्ति के उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और बच्चों को गोद लेने जैसे कई महत्वपूर्ण सामाजिक कानूनों को पंथ की बजाय सामाजिक आधारों पर बनाया गया, ताकि दलित जातियों एवं महिलाओं को धर्म के आधार पर बने हुए भेदभाव वाले कानूनों से छुटकारा मिल सके। उदाहरण के लिये, सन् 1952 से पहले संपत्ति उत्तराधिकार के कानून के तहत हिन्दू महिलाओं को पैतृक संपत्ति का हिस्सा नहीं मिल सकता था। लेकिन 1952 में पारित एक कानून के अनुसार महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना शुरू हो गया।

पंथनिरपेक्षता भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। भारतीय राज्य ने काफी हद तक अपने आपको न केवल मंत, पंथ और धर्म से अलग रखा है बल्कि सभी धर्मों को बराबर की आज़ादी दी है।

यही वजह है कि भारत में सभी उच्च पदों पर जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश आदि के पदों पर समय–समय पर अलग–अलग मतों, पंथों और धर्मों के लोग पदासीन हुए हैं। कुछ सांप्रदायिक दंगों के बावजूद भारत में आमतौर पर अलग–अलग धर्मों के लोगों में काफी हद तक एकता रही है। सभी धर्मों के लोग अब यह असलियत अच्छी तरह समझने लगे हैं कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को दूसरे धर्मों के विरूद्ध भड़काते हैं। लेकिन अगर लोगों में इन सब प्रवृत्तियों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तो साथ–साथ पंथनिरपेक्षता और मज़बूत होगी। भारतीय राज्य के द्वारा पंथनिरपेक्षता को व्यावहारिक रूप देने की कोशिश तभी सफल हो सकती है जब देश के नागरिकों की सोच स्वतंत्र हो और वे मुद्दे को मत, पंथ और धर्म से अलग करके समझने की कोशिश करें।

## अभ्यास के प्रश्न

1. भारत में पंथनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? अपने शब्दों में समझाइये?
2. पंथनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन–कौन सी बातें शामिल हैं?
3. आपके विचार में भारत में पंथनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन–से मौलिक अधिकार शामिल है और क्यों?
4. अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का ज़रूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं? कारण सहित समझाइये।
5. नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिये –

कई स्थानों पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के डर से एक गाँव की महिलाओं का समूह पुलिस थाने में गया। वे एक लिखित शिकायत दर्ज़ करवाना चाहती थीं और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह या पुलिस की हिफाज़त चाहती थीं।

थानेदार ने उन महिलाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया। पुलिस ने उनको ज़रूरी सुरक्षा तक नहीं दी। दूसरे दिन दंगाई भीड़ ने इन महिलाओं के घरों को जला दिया।

**प्रश्न**

1. थानेदार ने पंथनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है या नहीं? अपने शब्दों में लिखिये।
2. गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक पंथनिरपेक्ष राज्य को थानेदार पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए?
3. दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना किस बात की ओर इशारा करता है?

M4Y2H7

# अध्याय 3 संसदीय सरकार (लोग व उनके प्रतिनिधि)

भारतीय संविधान यह निश्चित करता है कि सभी लोग अपने देश की शासन प्रणाली का हिस्सा बनें – लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं, बल्कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। ये प्रतिनिधि अलग–अलग स्तर पर चुने जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य एवं केन्द्र।

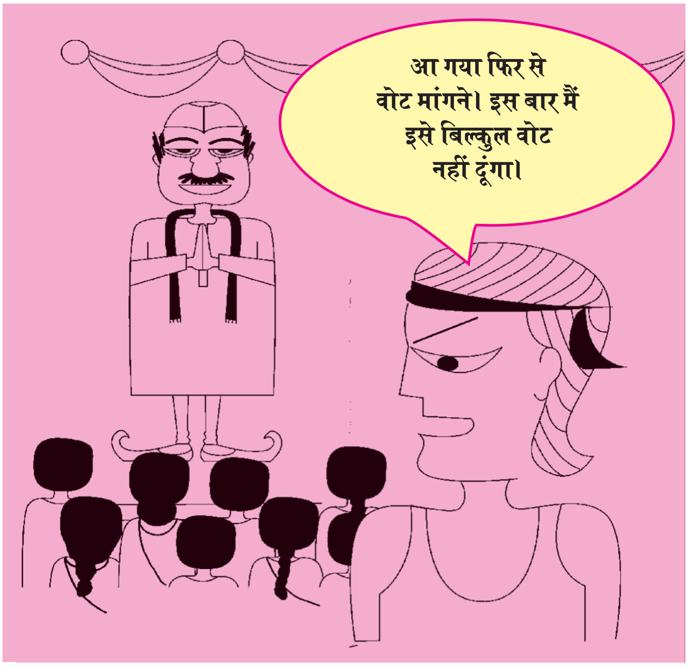


इन प्रतिनिधियों की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय जानें, लोगों की समस्याओं को सुनें और उसे हल करने का प्रयास करें। इन प्रतिनिधियों का चुनाव पांच वर्ष तक के लिए होता है और इनकी ज़िम्मेदारी अपने क्षेत्र के प्रति होती है। इन वर्षों के दौरान यदि ये ठीक से काम न करें तो लोग इन्हें दूसरी बार वोट न देकर उन्हें उस पद पर चयनित नहीं करेंगे।

सही विकल्प चुनें –

1) प्रतिनिधि का अर्थ –

(अ) – लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति

(ब) – सरकार द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति

(स) – उस क्षेत्र का जाना–माना व्यक्ति

2) राज्य विधानसभा के लिए चुने गये व्यक्ति को क्या कहते हैं?

(अ) – वार्ड सदस्य

(ब) – थानेदार

(स) – विधायक

लोग स्थानीय शासन की इकाइयों, जैसे ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संसद तक, सभी में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कानून बनाने, उन्हें लागू करने और शासन के ज़रूरी निर्णय लेने का कार्य करते हैं।

संसदीय सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। यह समयावधि समाप्त होने पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का फिर से मौका मिलता है। उदाहरण के लिए – भारत में यह अवधि पाँच साल है।

पाँच साल के बाद होने वाले चुनाव में लोग पुराने प्रतिनिधियों को दोबारा वोट न देकर, नये प्रतिनिधि भी चुन सकते हैं।

## संसद का गठन

1. संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है?
2. प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना क्यों ज़रूरी होता है?
3. प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए ही क्यों किया जाता है?
4. क्या आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है?
5. प्रतिनिधि चुनाव क्यों ज़रूरी है? शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।

भारतीय संसद के तीन अंग हैं। **राष्ट्रपति, लोकसभा** और **राज्यसभा**। इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनती है।

**लोकसभा–** भारतीय संसद के दो सदन हैं: लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। यहां बैठने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत व राज्य विधानसभा की तरह लोकसभा के लिए भी हर पाँच साल में चुनाव करवाये जाते हैं।

लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आम तौर पर विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्य होते हैं। लेकिन इसमें कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्य भी मनोनीत किये जाते हैं।

चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद (एम.पी.) कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं।

**राज्यसभा–** भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश

संसद भवन, नई दिल्ली

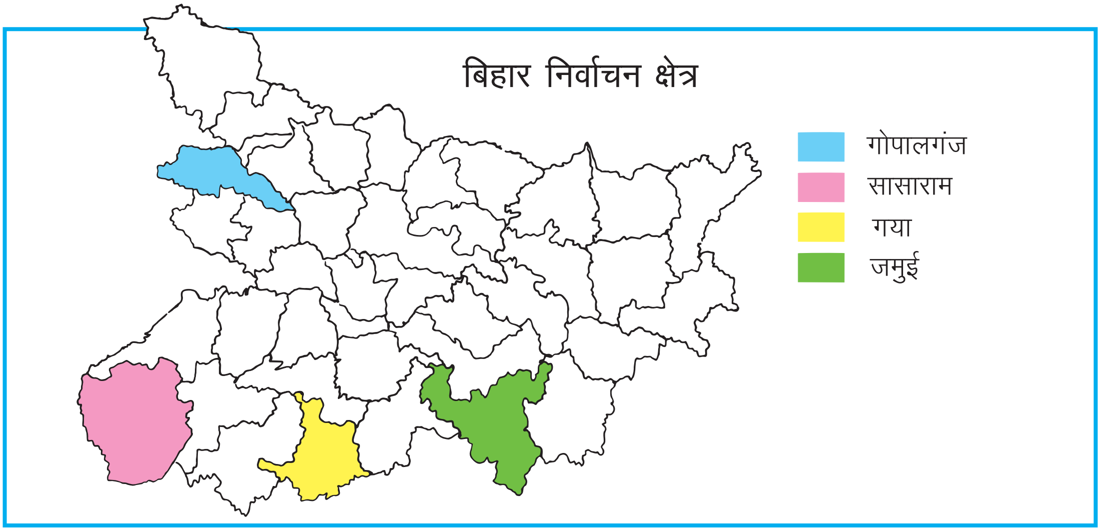


ऊपर दिये गये नक्शे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

1. बिहार के कुछ प्रमुख शहरों के चुनाव क्षेत्रों को पहचान कर उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम बताइये।
2. आपके सांसद का क्या नाम है? वे किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं?
3. नक्शे को अलग–अलग रंगों से दिखाने का प्रयास क्यों किया गया है?
4. बिहार के प्रमुख राजनैतिक दलों के नाम पता कीजिए।
5. किसी भी राजनैतिक दल को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है?
6. राजनैतिक दलों का मुख्य काम क्या होता है?

के राज्यों के प्रतिनिधि की तरह कार्य करती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्य सभा में 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं।

विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्येक दो साल के बाद राज्यसभा के एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

## राष्ट्रपति

संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है।

**भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू**

शिक्षिका की मदद से पता कीजिए कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है?

## सरकार का गठन

लोकसभा चुनावों के बाद, चुने गये संसद सदस्यों की सूची तैयार की जाती है। जिस राजनैतिक दल को बहुमत के लिए आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिये 543 में से कम से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यदि किसी एक दल को बहुमत के ज़रूरी 272 सीटें न मिल पाएँ तो एक से अधिक दल मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं।

नीचे सन् 1984 में हुए आठवीं लोकसभा चुनावों के नतीजों की तालिका दी गयी है। इस तालिका को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

आठवीं लोकसभा चुनाव के परिणाम – 1984

| राजनैतिक दल | निर्वाचित सांसदों की संख्या |
|---|---|
| **राष्ट्रीय दल** | |
| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 02 |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) | 02 |

| | |
|---|---|
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा) | 22 |
| इंडियन कांग्रेस (सोसलिस्ट) | 04 |
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 404 |
| जनता पार्टी | 10 |
| लोक दल | 03 |
| **क्षेत्रीय दल** | |
| आल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 12 |
| द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक) | 02 |
| ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | 02 |
| इंडियन कांग्रेस (जे) | 01 |
| जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फेरंस | 03 |
| केरल कांग्रेस (जे) | 02 |
| मुस्लिम लीग | 02 |
| पीज़ेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया | 01 |
| रेवोल्यूशनरी सोसलिस्ट पार्टी | 03 |
| तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) | 30 |
| निर्दलीय | 05 |
| **कुल योग** | 510 |

नोट : 1984 में असम तथा पंजाब में लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे।

स्रोत : www.eci.gov.in

1. आठवीं लोकसभा चुनावों में किस राजनैतिक दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुईं?
2. किस दल को सबसे कम सीटें प्राप्त हुईं?

गठबन्धन की सरकार बनाने की कोशिश की हैं।

पिछले कुछ सालों में हुए लोकसभा चुनावों में किसी भी एक राजनैतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत नहीं थे। इसलिए कई दलों ने साझा मुद्दों पर मिलकर

गठबंधन की सरकार के उदाहरण को समझने के लिए नीचे दी गयी लोकसभा चुनाव 1999 के नतीजों की तालिका को पढ़ें व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

तेरहवीं लोकसभा चुनाव 1999 का परिणाम –

| राजनैतिक दल | निर्वाचित सांसदों की संख्या |
|---|---|
| **राष्ट्रीय दल** | |
| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 182 |
| बहुजन समाज पार्टी (बसपा) | 014 |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा) | 033 |
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 114 |
| जनता दल युनाइटेड (जदयू) | 021 |
| अन्य | 005 |
| **क्षेत्रीय दल** | |
| ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 010 |
| ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस | 008 |

| | |
|---|---|
| बीजू जनता दल | 010 |
| द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक) | 012 |
| इंडियन नेशनल लोकदल | 005 |
| राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 008 |
| पहली मक्कल कांची | 005 |
| राष्ट्रीय जनता दल | 007 |
| शिव सेना | 015 |
| समाजवादी पार्टी (सपा) | 026 |
| तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) | 029 |
| अन्य | 023 |
| पंजीकृत (गैर मान्यता प्राप्त) दल | 010 |
| निर्दलीय | 006 |
| **कुल योग** | 543 |

स्रोत : www.eci.gov.in

1. तेरहवीं लोकसभा चुनाव में कौन सा दल सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया?
2. सबसे बड़ा दल होते हुए भी वह पार्टी अकेले सरकार क्यों नहीं बना सकी?
3. जो गठबंधन सरकार बनाई गई, उस गठबंधन का क्या नाम था?
4. आपकी समझ में क्या बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखना चाहिए? कारण सहित समझाइए।
5. क्या इस तरह के गठबंधन से बनी सरकार शक्तिशाली सरकार हो सकती है? कारण सहित समझाइये।

## प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।

प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे छह महीने के भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करती है।

भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोच्च स्थान है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति के बीच सेतु का काम करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होते हैं।

1. राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं?
2. क्या प्रधानमंत्री अपनी मर्ज़ी से अपने मंत्रिपरिषद में सहयोगियों को ले सकते हैं? शिक्षिका की मदद से चर्चा कीजिए।

## संसद के कार्य

### संसद को प्रमुखत: निम्नांकित कार्य करने होते हैं–

1. **विधायी कामकाज** – संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है।

2. **वित्तीय कार्य**– सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किये गये धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है।
3. **सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना** – सरकार को नियंत्रित करना तथा मार्गदर्शन देना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। संसद के लिए चुने गये– अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से कार्य करते हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।

संसद कई तरीकों से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। उन तरीकों में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना और अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, प्रमुख हैं।

## प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना

प्रश्नकाल संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसदीय कार्यवाही का प्रत्येक दिन प्रश्नकाल से शुरू होता है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद आम तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बंधित किसी भी विभाग के किसी भी विवाद से जुड़ी किसी समस्या के बारे में प्रश्न पूछते हैं। कई मौकों पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सरकार की किसी ऐसी नीति या कार्यक्रम से सम्बंधित होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं।

यदि आप को अपने इलाके के बारे में प्रश्न पूछना होता तो आप अपने सांसद से क्या प्रश्न पूछते?

## अविश्वास प्रस्ताव

अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् पर नियंत्रण करने का एक मज़बूत तरीका है। यदि संसद को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

ऐसे प्रस्ताव की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए एक निश्चित दिन तथा समय निर्धारित करते हैं। बहस के बाद मतदान किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।

इस अविश्वास प्रस्ताव वाले नियम के पीछे क्या कारण हो सकता है? आपस में चर्चा कीजिए।

## अभ्यास के प्रश्न

1. हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ से क्या यह ठीक है?
2. लोकसभा जनभावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? कारण सहित समझाइये।
3. लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? एक उदाहरण देकर समझाइये।
4. केन्द्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या दलों की गठबंधन के पास होने वाले आवश्यक बहुमत का क्या अर्थ है? एक उदाहरण देकर समझाइये?
5. संसद मंत्रिपरिषद पर किन–किन तरीकों से नियंत्रण करती है? इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है और क्यों?
6. संसद के मुख्य कार्य कौन–कौन से हैं? अपने शब्दों में लिखिये।
7. नीचे दी गयी तालिका को अध्याय में दी गयी जानकारी के आधार पर भरिये।

| जानकारी | लोकसभा |
|---|---|
| सदस्यों की कुल संख्या | |
| सदस्यों का कार्यकाल | |
| सदन का कार्यकाल | |
| चुनाव का तरीका | |
| सभापति या अध्यक्ष के चुनाव का तरीका | |

अध्याय 4

N1B6T3

# कानून की समझ

आप आये दिन रेडियो, टी.वी. व अखबारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कानूनों एवं नियमों के बारे में सुनते–पढ़ते होंगे। उनमें से कुछ कानूनों से तो आप परिचित भी होंगे जैसे विवाह की उम्र सीमा, दहेज लेने के विरूद्ध कानून, मताधिकार का कानून आदि। लेकिन कुछ कानूनों के बारे में आपकी जानकारी सीमित होगी जबकि आपके घर के बड़े–बूढ़े इनसे ज़्यादा अच्छी तरह से परिचित होंगे, जैसे- संपत्ति खरीदने–बेचने के नियम, कानून विभिन्न प्रकार के झगड़ों को निपटाने के लिए कानून आदि।

इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है, नए कानून किस तरह बनते हैं, और किस तरह ये सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जितना जरूरी हमें यह सब जानना है, उतना ही जरूरी यह भी जानना है कि नागरिक होने के नाते हमें अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून बनने की स्थिति में क्या करना चाहिए।

किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाये जाते हैं उन्हें कानून कहा जाता है। इन नियमों–कानूनों के बिना हम एक व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते।

सुनिश्चित कानून–व्यवस्था समाज के लिए बहुत आवश्यक है। यह मानव कल्याण और मानवीय अधिकारों के आधार पर बनाये जाते हैं। कानून आम तौर पर स्थित और निश्चित होते हैं परन्तु किसी विशेष परिस्थिति, जनता के द्वारा विरोध या उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाने पर उन्हें संशोधित या समाप्त किया जा सकता है।

## कानून के प्रकार

संविधान में उल्लिखित नियमों को संवैधानिक कानून कहते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुरूप बनाये गए या अपनाए गए अन्य कानून, सामान्य कानून की श्रेणी में आते हैं। उत्तराधिकार कानून, वैवाहिक कानून, दण्ड विधान आदि हमारे देश के सामान्य कानून हैं।

आपने अपने गाँव या मुहल्ला में परिचितों के यहाँ शादी में भाग लिया होगा। उनमें अलग–अलग धर्म के लोग भी होंगे। प्रत्येक धर्म में शादी की अलग–अलग विधि है। कानून इस सारे विवाहों को मान्यता तथा वैधता प्रदान करता है क्योंकि ये शादियाँ संबंधित व्यक्तियों के व्यक्तिगत धार्मिक आस्था, परंपरा के अनुसार सम्पन्न हुई हैं।

किसी व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित तथा नियंत्रित करने संबंधी कानून व्यक्तिगत कानून की कोटि में आते हैं। सम्पत्ति, व्यक्ति व सरकार के बीच व्यवहार, आपराधिक घटनाओं तथा व्यक्तियों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून को सार्वजनिक कानून कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सहकारिता कानून, दंड विधान आदि सार्वजनिक कानून हैं। सार्वजनिक कानून को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है– दीवानी कानून और फौजदारी कानून। दीवानी कानून के अन्तर्गत जमीन–जायदाद, विवाह इत्यादि के झगड़ों की स्थिति में लगने वाले कानून एवं फौजदारी कानून के अन्तर्गत लड़ाई, झगड़ा, हत्या, चोरी, डैकैती आदि अपराध के लिए लगने वाले कानून आते हैं।

**सोपान के रूप में कानून को हम इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं:–**

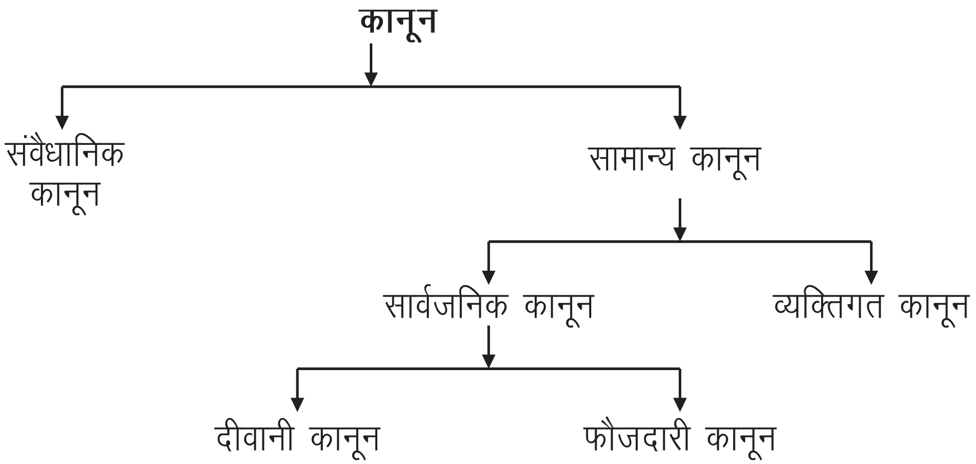

## कानून कैसे बनते हैं?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून निर्माण करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से तो जनता का है परन्तु तकनीकी तथा व्यावहारिक दृष्टि से जनता के प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। भारत में कानून बनाने का दायित्व संविधान ने भारतीय संसद को दिया है, क्योंकि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं। संसद का एक प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। आम तौर पर जनता सबसे पहले समाज की समस्याओं के समाधान के लिए किसी खास कानून को बनाने के लिए आवाज़ उठाती है। जनता के उठाये गये मुद्दों को मंत्रिमंडल द्वारा उस विषय से सम्बंधित विभाग (विधेयक समिति) के पास सुझाव एवं विधेयक निर्माण के लिए भेजा जाता है। उसके बाद मंत्रिमंडल विधेयक को संसद में पेश करता है।

भारत में संसद के दो सदन हैं – लोकसभा एवं राज्यसभा। सामान्यता विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है, जिसमे सुधार एवं संशोधन भी होता है। इसको समझने के लिए निम्न रेखा चित्र को देखा जा सकता है।

**कानून बनाने की प्रक्रिया**

जनता का मुद्दा/समाज में चर्चा एवं बहस
↓
सरकार द्वारा सदन में विधेयक पेश करना
↓
सदन में चर्चा/बहस
↙ ↘
विधेयक पारित | विधेयक रद्द
↓ (विधेयक पारित)
पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है
↓
दूसरे सदन में चर्चा/बहस एवं पारित अथवा संशोधन
↓
राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है
↓
सहमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है

## शिक्षा का अधिकार कानून

आज़ादी के बाद संविधान में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उसमें यह प्रावधान (अनुच्छेद 45) रखा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अगले 10 वर्षों में राज्य द्वारा की जानी चाहिए।

इसको लेकर नागरिक संगठन, छात्र–संगठन, समाजसेवी संस्थाएं, अभिभावक एवं आम लोग कई कार्यक्रम सम्मेलन, मीटिंग, प्रदर्शन व अध्ययन आदि के द्वारा आवाज़ उठाते रहे हैं। अन्ततः सरकार द्वारा संसद के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 बनाया । इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि 6–14 आयुवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

उक्त कानून के लागू होने के बाद बाल मज़दूरी, पढ़ाई पूरी किये बिना विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या व लड़कियों की साक्षरता प्रतिशत का बढ़ना इस बात की ओर संकेत करते हैं कि शिक्षा संबंधी कानून अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है।

किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए संसद में किस प्रकार की कार्यवाही (चर्चा) होती है, इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है।

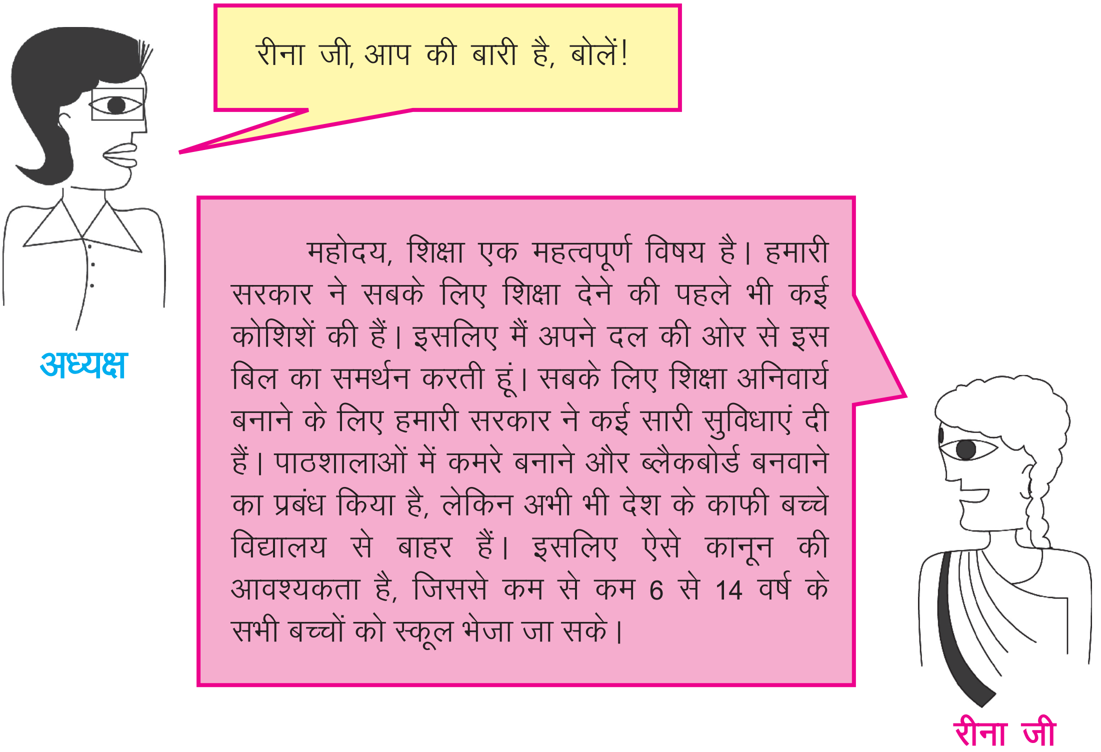

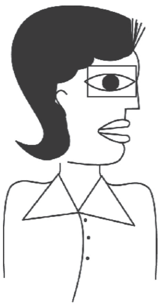

अध्यक्ष

अब मैं अनुराधा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे बोलें!

महोदय, मैं इस बात से खुश हूँ कि इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि किसी भी बच्चे को विद्यालय जाने के लिए एक किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। ऐसा होने से खासकर लड़कियों को पढ़ने में विशेष सहुलियत मिलेगी, क्योंकि अधिकतर अभिभावक विद्यालय दूर होने के कारण लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते। उनके पास अपनी बेटियों को भेजने का साधन नहीं होता।

अनुराधा जी

अध्यक्ष

धन्यवाद! अब विकास जी अपनी बात कहेंगे!

महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी विनम्रता से विरोध करता हूं। हमारे पास सभी के लिए शिक्षा हेतु कई नियम हैं। कोई भी नया कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होता, असली समस्या यह है कि बनाये गये नियमों और नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं किया जाना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में यह कहा गया था कि संविधान के लागू होने के दस वर्षों के भीतर सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। उस बात को आज छिहत्तर वर्ष से अधिक हो गये लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया है।

विकास जी

रीना जी

महोदय, माननीय सदस्य को इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है। मैं सदन को यह बताना चाहती हूँ कि इस विधेयक में एक प्रावधान है कि जो बच्चे अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी उनकी उम्र के मुताबिक कक्षा में नामांकन करने हेतु विशेष तैयारी करवायी जायेगी। इसमें दलितों तथा विकलांगों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

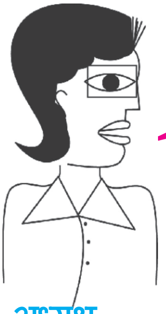

अध्यक्ष

अंतरा जी आप बोलें!

अंतरा जी

महोदय, शिक्षा के किसी कानून का तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक सभी के लिए समान विद्यालयों की व्यवस्था नहीं की जाती। हमारे देश में कई तरह के विद्यालय चल रहे हैं जिनकी वजह से एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं लगता। यदि सरकार इस विषय में गंभीर है तो कानून में यह प्रावधान किया जाये कि कोई भी निजी विद्यालय नहीं हो।

अरविन्द जी

महोदय, मेरा यह मानना है कि यह कानून सिर्फ शुरुआती व्यवस्था है। बाद में हमें उच्च शिक्षा को भी ऐसे कानून के दायरे में लाना पड़ेगा। 14 वर्ष तक आते–आते बच्चे अधिक से अधिक कक्षा आठ तक ही पहुंच पाते हैं। आठवीं तक की पढ़ाई से जीवन चलाने में क्या सहायता मिलेगी? क्या हम सिर्फ दैनिक वेतनभोगी मज़दूर पैदा करना चाहते हैं जो नाम लिख लें और थोड़ा बहुत हिसाब–किताब कर लें? मेरा मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि मज़दूर का बेटा मज़दूर न हो तो इस कानून को व्यापक रूप से उच्च शिक्षा तक बढ़ाया जाये।

बहस इसी तरह चलती रही। बहस के बाद अध्यक्ष ने विधेयक पर मतदान करवाया। विधेयक बहुमत से पारित हो गया।

दिये गये उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कानून बनाने में जनता की भूमिका अहम होती है। कानून बनाने की हर प्रक्रिया में जनता की आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। जनता की यह आवाज़ टेलीविज़न, अखबारों, रेडियो तथा आम–सभा, ज्ञापन, अध्ययन, धरना–प्रदर्शन आदि के ज़रिये सुनी और व्यक्त की जा सकती है।

## क्या कानून सब पर लागू होते हैं?

संसद में हो रही चर्चा

हमारे देश का कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच आपस में कोई भेदभाव नहीं करता। कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे व्यक्ति धनी हों या गरीब, स्त्री हों या पुरूष, अगड़े हों या पिछड़े, सरकारी हों या राजनेता। यहां तक कि सम्बंधित व्यक्ति देश का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अर्थात् कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तय होने तक की एक निश्चित प्रक्रिया होती है

जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित होता है।

हमारे देश में कानून का उल्लंघन करने के लिए या अपराध की सज़ा देने के लिए न्यायालय होते हैं। न्यायालय ही सज़ा निर्धारित करते हैं। अगले अध्याय में इस बात की चर्चा दोबारा विस्तार से की जायेगी।

## अलोकप्रिय कानून एवं जनप्रतिरोध

### बिहार प्रेस बिल 1982

बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधानपालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया था। इस कानून में ऐसी बातें लिखी गयी थीं जिनका सहारा लेकर राज्य सरकार की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति, अखबार या पत्रिका से जुड़े सभी लोगों को दण्डित किया जा सकता था। सरकार की आलोचना करने पर यह आरोप आसानी से लगाया जा सकता था कि अमुक ने अपने विचारों को लापरवाही से व्यक्त किया है जिससे लोगों के हितों को हानि पहुँची है।

इस कानून से ''विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता'' के मौलिक अधिकार पर किसी भी तरह की रोक लगायी जा सकती थी। इस कानून का लोगों ने लिखकर, धरना–प्रदर्शन और अन्य माध्यमों से जमकर विरोध किया। तीन सितम्बर 1982 को इसके विरोध में अखिल भारतीय समाचार–पत्र संघ तथा उसके सहयोगी संगठनों द्वारा देश भर में हड़ताल की गयी। कई संगठनों ने बिहार उच्च न्यायालय में इस कानून पर रोक लगाने के लिए अपील दायर की। अन्त में उच्च न्यायालय और जनता के दबाव में बिहार सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा। बिहार प्रेस विधेयक से पहले और बाद में भी कई ऐसे कानून बने हैं जिनका लोगों ने पुरज़ोर विरोध किया है।

1. अपनी शिक्षिका की मदद से, कुछ ऐसे कानूनों की सूची बनायें जो जनता के दबाव में वापस ले लिये गये।
2. पता लगाइये कि हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या कभी अंकुश लगाया गया था?

## सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम–1958

आतंकी गतिविधियों के कारण राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम ने सेना को यह अधिकार दिया था कि सेना बिना किसी आदेश के कभी भी लोगों के घरों की तलाशी ले सकती थी और लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी वहां के लोग इस अधिनियम का पिछले कई सालों से विरोध करते आ रहे थे। पूर्वोत्तर राज्यों के बड़े हिस्से तथा जन विरोध के कारण अंततः इस कानून को सरकार ने वापस ले लिया।

सन् 1974 से 1976 तक लगाये गये आन्तरिक आपातकाल के दौरान भी प्रेस और बोलने की आज़ादी पर सख्त रोक लगायी गयी थी।

आपातकाल के विरोध में लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी ने पूरे भारत में जनक्रान्ति प्रारंभ की। आगे चलकर यह जनक्रान्ति "सम्पूर्ण क्रान्ति" के नाम से प्रसिद्ध हुई। दमनकारी कानून का लोगों ने ऐसा विरोध आरंभ किया कि सभी वर्गों के लोग सड़कों पर उतर आये। इस क्रान्ति का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता के साथ–साथ, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी का निवारण और समाज में परिवर्तन भी था।

आन्दोलन और जनदबाव के कारण तत्कालीन केन्द्र सरकार को आन्तरिक आपातकाल समाप्त करना पड़ा। आपातकाल से परेशान जनता ने चुनाव के माध्यम से आपतकाल लागू करने वाली तत्कालीन केन्द्र सरकार को हटा कर दूसरी सरकार बनाई।

इस प्रकार हम देखते है कि जनता के अधिकारों को हनन करने वाले कानूनों को जन–आन्दोलन के माध्यम से हटाने के लिए सरकारों को बाध्य किया जा सकता है।

## अभ्यास के प्रश्न

1. कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइये।
2. भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिये।
3. आपके विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में किन–किन बातों को शामिल करना चाहिए और क्यों?
4. अगर किसी राज्य या केन्द्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की ज़रूरतों के अनुसार न हो, तो आम लोगों को क्या करना चाहिए?
5. मान लीजिए आप 'प्रतिरोध' नामक संगठन के सदस्य हैं और आप बिहार राज्य में पूर्णतया पॉलीथीन बंदी पर कानून लागू करवाना चाहते हैं। इस विषय में अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन लिखिये जिसमें पूर्णतया पॉलीथीन बंदी के कानून की आवश्यकता के बारे में बताया गया हो।
6. अगर राजस्व कर्मचारी के पास ज़मीन दर्ज करवाने का कानून न हो, तो आम लोगों को किन–किन असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है?

## जन्म–मृत्यु पंजीकरण

जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कानूनन आवश्यक है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समय से नहीं करवाने पर भविष्य में कई तरह की असुविधाएं हो सकती हैं। जन्म प्रमाण पत्र–जन्म की तारीख एवं स्थान का एक प्रामाणिक दास्तावेज है जिसका उपयोग विद्यालय में नामांकन कराने, राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने, बालिका समृद्धि योजना का लाभ लेने, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड एवं टीकाकरण तथा देश की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति ज्ञात कर योजनायें बनाने के लिए किया जाता है। वहीं मृत्यु प्रमाणपत्र–मृत्यु की तारीख एवं स्थान का प्रामाणिक दस्तावेज है, जिसका उपयोग पैतृक संपत्ति में दावे के निराकरण, कोर्ट कचहरी में मृत्यु के साक्ष्य के रूप में, जीवन बीमा एवं बैंक खातों की राशि प्राप्त करने, दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर मुआवजा लेने, अनुकम्पा के आधार पर नौकरी का दावा करने के लिए किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जन्म अथवा मृत्यु का पंजीकरण नगर–निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत के रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव –सह– रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), आंगनवाड़ी सेविका–सह–उप रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) या चौकीदार को घटना की सूचना देकर 21 दिनों के अंदर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जन्म या मृत्यु किसी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल या रेफरल अस्पताल में होने पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र वहीं से प्राप्त किया जा सकता है।

अध्याय

5

# न्यायपालिका

क्या आप लोग आपस में कभी लड़ते–झगड़ते हैं? आप सोच रहे होंगे, भला यह भी कोई प्रश्न हुआ। हम बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी तो आपस में लड़ते हैं। लेकिन बच्चों और बड़ों की लड़ाई में एक अन्तर होता है। आप अपनी लड़ाई का निपटारा करने अक्सर अपने अभिभावक, शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पास जाते हैं। ये लोग कभी प्यार से समझाकर तो कभी डाँट–फटकार कर आपके विवाद का हल निकाल देते हैं।

बच्चों के पिता ने क्या जवाब दिया होगा? सोचकर लिखिए।

यह तो हुई आपकी बात। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि जब बड़े लोगों के बीच कोई झगड़ा या विवाद होता है, तो वे अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाते हैं? वे कभी अपने मित्रों या सम्बन्धियों की मदद से अपनी समस्या का हल निकाल लेते हैं। अगर इससे बात नहीं बनती है तो पंचायत की सहायता लेते हैं। परन्तु हर विवाद का समाधान इस तरह से नहीं निकाला जा सकता है।

आपको यह तो पता ही है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कानून का शासन चलता है जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। हमारे देश में कानून के अनुसार अलग–अलग तरह के विवादों का निपटारा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें कई प्रकार की अदालतें हैं। इन अदालतों में लोग न्याय के लिए जा सकते हैं।

## न्याय की समझ

जब किसी मुद्दे पर दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच विवाद होता है तो प्रत्येक अपने को सही एवं दूसरे को गलत मानता है।

लेकिन न्याय की दृष्टि से यह तय करना कि कौन सही है और कौन गलत, उतना आसान मामला नहीं है जितना कि हमें लगता है। आइए न्याय को समझने के लिए गीता की कहानी को पढ़ते हैं।

गीता अपने तीन भाइयों की इकलौती बहन थी। बचपन से ही उसके माँ–बाप ने उसे लाड़–प्यार से पाला था। खाने-पीने व कपड़े-लत्ते की उसे कोई कमी न थी। हाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए वह पास वाले सरकारी हिन्दी माध्यम स्कूल में जाती थी और उसके भाई गाँव से कुछ दूर निजी अँग्रेज़ी माध्यम स्कूल में जाते थे। इस बात से वह अक्सर चिढ़ जाती थी और तब उसके पिता एवं उसके भाई उसे समझाते थे कि लड़की होने के कारण उसका गाँव से दूर अँग्रेज़ी व सह-शिक्षा विद्यालय जाना उचित नहीं है। बारहवीं कक्षा के बाद गीता की शादी पड़ोस के गांव के एक लड़के के साथ कर दी गई जो स्वयं पढ़ाई कर रहा था।

कुछ साल बाद गीता के पिता की मृत्यु हो गई उसके भाइयों ने आपस में अपने पिता की संपत्ति का बँटवारा कर लिया। उसमें से कुछ भी गीता को देने की ज़रूरत नहीं महसूस की। गीता के ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। वह भी आगे पढ़ना चाहती थी वह सोचती थी कि अगर पिता की संपत्ति में से उसे भी कुछ मिल जाता तो वह भी आगे पढ़ सकती थी। जब उसने अपने भाइयों को अपना यह विचार बताया तो वे एकदम बिगड़ गए और बोले ''पिताजी ने तुम्हारे विवाह में 50 हज़ार रुपये खर्च किए थे तो तुम्हें अब आगे और क्या चाहिए।

इस बात से गीता भी तुनक गई और बोली कि आप तीनों ने तो बारह लाख की ज़मीन

का पैसा आपस में बाँट लिया। क्या मुझे उसमें से कुछ नहीं मिलना चाहिए? जिस प्रकार तुम उनके बेटे हो, मैं भी तो उसी प्रकार उनकी बेटी हूं।

आपकी समझ में कौन सही है – गीता या उसके भाई? आपस में चर्चा कीजिए।

गीता ने अपने भाइयों से कहा कि यदि आप मेरा हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इस बात को ग्राम कचहरी में ले जाँऊगी। तीनों भाइयों ने कहा–जो करना है करो, पर तुझको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। गीता मामले को ग्राम कचहरी में ले गई।

ग्राम कचहरी के पंचों ने भी उसके भाइयों का ही साथ दिया। कचहरी ने कहा कि इस गाँव में आज तक इस तरह की कोई घटना नहीं घटी, जहां बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला हो, न ही इस गाँव की ऐसी परम्परा है। इसलिए पैतृक संपत्ति पर सिर्फ तुम्हारे भाइयों का ही अधिकार है।

क्या आप ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत हैं? वर्ग कक्षा में चर्चा कीजिए ।

परंपरा के आधार पर कचहरी के फैसले से गीता असंतुष्ट थी। उसे लग रहा था कि ग्राम कचहरी ने उसके साथ न्याय नही किया है। उसने हार नहीं मानी और अंत में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत में न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया वह पूरी तरह गीता के पक्ष में था।

उन्होंने फैसले में कहा कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी, सभी बराबर के हकदार हैं।

गीता के भाइयों को अपनी पैतृक संपत्ति का बँटवारा चार भागों में करना होगा। अन्ततः गीता को हिस्से में तीन लाख रुपये मिले। अदालत के इस फैसले से गीता काफी खुश हुई। खुश हो भी क्यों न उसे न्याय जो मिला था।

1. अदालत ने गीता के पक्ष में क्या फैसला सुनाया और क्यों?
2. इस कहानी को पढ़ने के बाद न्याय के बारे में आपकी क्या समझ बनती है? इस पर अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए।

अधीनस्थ अदालतों को कई अलग–अलग नामों से सम्बोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या ज़िला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है।

उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में की गयी, ये तीनों प्रेसिडेन्सी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। आज देशभर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा न्यायालय है, जो चण्डीगढ़ में स्थित है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में भी शाखाएं हैं।

2013 ई0 में उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आंध्रप्रदेश के अमरावती में 25 वाँ न्यायालय 2019 में स्थापित हुआ।

## न्यायपालिका की भूमिका

जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार तीन अंगों की सहायता से कार्य करती है। ये तीन अंग हैं – विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। पिछले अध्यायों में आप लोग विधायिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है।

अगर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच, दो राज्यों के बीच, दो नागरिकों के बीच अथवा सरकार एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो इसे सुलझाने के लिए एक निकाय (संस्था) की ज़रूरत पड़ती है जो बिना किसी पक्षपात या दबाव में आए अपना कार्य करे। ऐसी न्यायिक व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं।

सरकार का यह तीसरा अंग, न्यायपालिका – नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यह न्याय करती है और विवादों को संविधान में उल्लिखित कानूनों के

अन्तर्गत सुलझाती है। अगर विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है।

अपने शिक्षक की सहायता से इस तालिका में दिये गये खाली स्थानों को भरिए।

| विवाद के प्रकार | उदाहरण |
|---|---|
| केन्द्र और राज्य के बीच विवाद | |
| दो राज्यों के बीच विवाद | |
| दो नागरिकों के बीच विवाद | |

**स्वतंत्र न्यायपालिका** – किसी भी परिस्थिति में न्यायपूर्ण फैसला होने के लिए यह ज़रूरी है कि न्यायाधीश अपना फैसला बिना किसी दबाव या भय के सुना सके। कल्पना कीजिए कि अगर सरकार का कोई मंत्री किसी प्रकार का अपराध करता है और उसका मामला न्यायालय में जाता है। न्यायालय का न्यायाधीश उस मंत्री या सरकार के दबाव में आकर उसे दोषमुक्त कर देता है। तब यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका स्वंतत्र नहीं है और वह ताकतवर लोगों से प्रभावित है। हमारे देश की न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र इसीलिए रखा गया है ताकि वह निष्पक्ष रूप से व बिना किसी दबाव में आए अपना काम कर सके।

### न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए दो तरीके अपनाए गए हैं-

पहला है शक्तियों का बँटवारा जिसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की शाखाएँ न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। कोई भी अदालत सरकार के अधीन नहीं होती है और न ही सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। इसका दूसरा तरीका है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधे हस्तक्षेप का नहीं होना।

न्याय के उद्देश्य से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। कई बार देखा गया है कि कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुँच का इस्तेमाल करके न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ न्यायाधीश भी पैसे व तरक्की के लालच में फँस कर गलत फैसले कर देते हैं। इससे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। इस तरह के गलत फैसलों सें न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगता है। ऐसे मामले सामने आने पर लोगों का न्यायपालिका में भरोसा भी कमज़ोर हो जाता है। इस तरह की समस्याओं की वजह से भारत की न्याय प्रक्रिया में सुधार की कई कोशिशें की जा रही हैं ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता व लोगों का उस पर विश्वास बना रहे।

## चर्चा कीजिए-

1. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए क्या–क्या किया गया है?
2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता में किस–किस तरह की बाधाएं आती हैं?

### भारत में न्यायपालिका की संरचना

हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। यह तीन स्तरों पर कार्य करती है। सबसे नीचे ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। ज़िला न्यायालय आम तौर पर ज़िला मुख्यालय में होता है। जैसे आप सीवान ज़िले के हैं तो आपका ज़िला न्यायालय सीवान में ही होगा। उसी तरह से अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार गया ज़िले का है तो उस ज़िले का ज़िला न्यायालय गया में होगा।सम्बन्धित ज़िले में ही आपके विवादों को सुलझाया जायेगा। इन अदालतों का लोगों से सबसे अधिक ताल्लुक होता है और यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है।

प्रत्येक राज्य कई ज़िलों में बँटा हुआ होता है और हर ज़िले में ज़िला न्यायालय होता है। सामान्यः राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जो राज्य की सबसे ऊँची अदालत होती है। हम बिहार के निवासी हैं। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय इसकी राजधानी पटना में है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बाकी सब अदालतों को मानने पड़ते हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं। ये सभी अदालतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालत द्वारा लिया गया निर्णय नीचे की सारी अदालतों को मानना पड़ता है। इसमें अपील के प्रावधान का एक विशेष स्थान है।

आप कभी–न–कभी अपनी कोई समस्या लेकर अपनी शिक्षिका के पास अवश्य ले गए होंगे। उनके फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के पास भी गए होंगे। ऐसे प्रावधान को ही अपील कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत में किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उसके विरुद्ध ऊपरी अदालंत मे अपील कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में ऊपरी अदालत का फैसला ही निचली अदालतों पर बाध्यकारी होता है।

### आम आदमी की न्याय तक पहुँच

भारत के सभी नागरिक न्यायालयों में न्याय के लिए जा सकते हैं क्योंकि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करती। लेकिन,यह बात भी सच है कि गरीब आदमी के

लिए न्याय पाना इतना आसान नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में काफी पैसा व समय लगता है और ऊपर से कागज़ी कार्यवाही की भी ज़रूरत पड़ती है। यह काम वकीलों का होता है। इस प्रक्रिया को सभी लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। कोर्ट-कचहरी के काम करने के अपने तरीके होते हैं, जिसमें समय लगता है। यह इसलिए होता है कि जल्दबाज़ी में किसी के साथ अन्याय न हो। लेकिन इसका असर कई बार उल्टा भी हो सकता है। कई केस सालों–साल खिंचते हैं।

लोगों के लिए अपना काम–धंधा छोड़ कर नियमित रूप से कोर्ट–कचहरी जा पाना मुश्किल हो जाता है। ये समस्याएँ तो सभी के लिए हैं, लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए यह समस्या कई गुना बढ़ जाती है।

*क्या यह आदमी ठीक सोच रहा है? कई बार न्यायिक प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। तो इसका मतलब क्या यह हुआ कि आम आदमी को कोर्ट-कचहरी से दूर रहना चाहिए?*

सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

न्याय को सभी लोगों तक जल्दी पहुँचाने के लिए न्याय की प्रक्रिया में सुधार की नई कोशिशें की जा रही हैं। ऐसी कोशिशों में सभी तरह के न्यायालयों में पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, गरीब लोगों के लिए निःशुल्क या कम पैसों में कानूनी सहायता की व्यवस्था और जनहित याचिकाएँ शामिल हैं। कई सारी दिक्कतों के बावजूद हमें यह मानना पड़ेगा कि भारत ने न्यायिक व्यवस्था का संचालन न्यायापालिका के बिना सोच पाना मुश्किल है। इसके सामने सभी बराबर हैं और यह निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुलभ निश्चित करता है कि अमीर या शक्तिशाली आदमी अपने धन या प्रभाव की वजह से गरीब या

पिछड़े हुए लोगों पर अन्याय ना कर सके। आइए विधिक सेवा प्राधिकार एवं लोक अदालत क्या है और यह हमारी मदद कैसे करता है, इसके बारे में जानें–

सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भारत का कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम '1987' पारित किया गया,जो 9 नवम्बर 1995 से प्रभावी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति का गठन किया गया। इनके द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :–

1. पात्र व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
2. लोक अदालतों का आयोजन करके सुलह –समझौते के माध्यम से विवादों का निपटारा कराना।
3. विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक प्रभावी एवं कम खर्चीली योजनाएँ तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों, श्रमिक बस्तियों आदि में समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक शिविरों का आयोजन करना।
5. पारिवारिक विवादों को सुलह –समझौते के आधार पर निपटाना।

## मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता :–

प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य में मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का हकदार है। वह व्यक्ति किसी दीवानी, फौजदारी, राजस्व या अन्य न्यायालय में लंबित मामले का पक्षकार हो या न्यायालय में वाद (केस) दायर करना चाहता है बशर्ते

– उसकी वार्षिक आय 1,50,000 रुपये से अधिक न हो।
– वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।
– वह मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो अथवा भिखारी हो।
– वह 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो।
– वह मानसिक रूप से बीमार या अक्षम व्यक्ति हो।
– वह व्यक्ति किसी भी तरह की अभिरक्षा (निगरानी) या मनोचिकित्सकीय परिचर्या गृह में हो।

इसके अलावा विधिक सेवा समिति या राज्य प्राधिकार के अध्यक्ष किसी बड़े लोक महत्त्व के मामले या वैसे मामले जिनके निर्णय का प्रभाव समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ने की

सम्भावना होने की स्थिति में पक्षकार को भी कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं।

## लोक अदालत

बिहार के सभी जिलों के व्यवहार न्यायालय के परिसर में लोक अदालत कार्यरत है। इसकी बैठक सामान्यतः सप्ताह में पांच दिन होती है। इसके अलावा विशेष लोक अदालतों, मेगा लोक अदालतों, चलंत लोक अदालतों एवं उच्च न्यायालय, पटना में भी समय–समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में दीवानी एवं सुलह योग्य फौजदारी मुकदमों का निपटारा भी किया जाताहै ,जो किसी न्यायालय में लम्बित हो। कोई एक पक्ष या दोनों के आवेदन पर मुकदमा लोक अदालत में भेजा जा सकता है। न्यायालय अपनी मर्जी से भी कोई मुकदमा लोक अदालत में भेज सकती है।

न्यायालय में वाद दायर करने से पूर्व भी आपसी बातचीत एवं समझौते के आधार पर विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालत में वाद (केस) दायर किया जा सकता है। इसके लिए विवाद के एक पक्षकार द्वारा सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष आवेदन देना पड़ता है। सचिव दूसरे पक्ष को नोटिस कर बुलाने के पश्चात् दोनों पक्षों की सुनेगा और मामले को उपयुक्त पाये जाने पर उसे लोक अदालत में निपटारे हेतु भेजेगा।

## अभ्यास के प्रश्न

1. क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सहित समझाइए ।
2. हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों है? लिखिए ।
3. निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी है। न्यायपालिका की संरचना उसका एक चित्र बनाइए।
4. भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या–क्या कदम उठाये गये हैं?
5. आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन - सी है? इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?
6. अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन–किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? लिखिए ।
7. कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति किस प्रकार न्याय पा सकता है? मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता क्या है? लिखिए ।
8. लोक आदालत से आप क्या समझते हैं ?

***

G9S8Q1

अध्याय

6

# न्यायिक प्रक्रिया

आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसने पुलिस का ज़िक्र नहीं सुना है न ही उसे आपने देखा भी होगा।आम आदमी की बातों में या फिल्मों में अक्सर पुलिस का ज़िक्र आता है। आपके विचार में पुलिस के क्या–क्या काम होते हैं? क्या पुलिस वाले बहुत शक्तिशाली होते हैं?

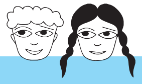

आपके अनुसार पुलिस के क्या–क्या काम होते हैं? लिखकर या चित्र बनाकर बताइए।

आइए, न्याय की प्रक्रिया व उसमें पुलिस, वकील व न्यायाधीश की भूमिकाओं को समझने का प्रयास आगे दी गई एक घटना के माध्यम से करते हैं।

विनोद आज अपने घर की नींव डालने के लिए मज़दूरों के साथ अपनी ज़मीन पर आया। विनोद की ज़मीन अवधेश के घर से सटी हुई थी। जैसे ही विनोद ने मज़दूरों से अपने नये घर की नींव खोदने की बात कही,तभी अवधेश वहां आ पहुँचा। उसने विनोद को अपने घर से 2 फीट हटकर नींव खोदने की बात कही,पर विनोद ने नहीं माना। उसने कहा, मेरी ज़मीन तो आपके घर

से सटी हुई है और मेरी दीवार आपके घर की दीवार से सटी रहेगी।"

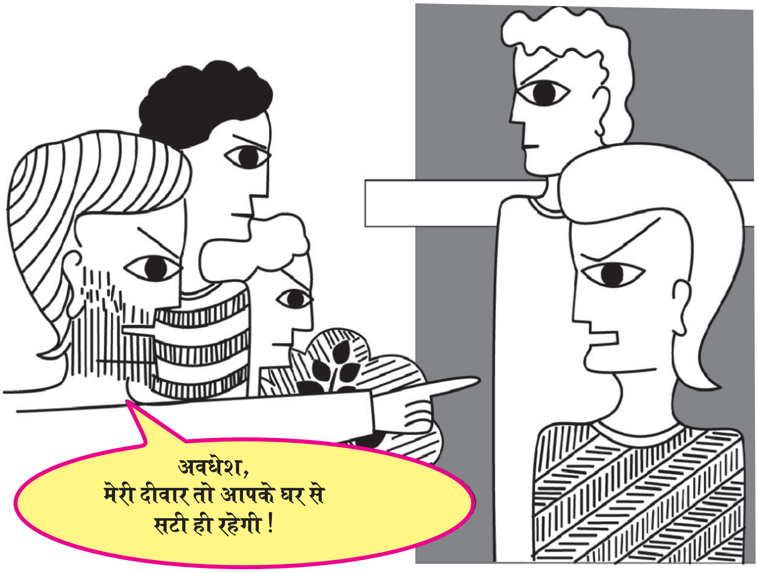


विनोद ने काम शुरू करवा दिया। इस पर अवधेश भड़क गया। दोनों तरफ के लोग झगड़ने लगे। तब किसी ने कहा, "भाई क्यों झगड़ते हो? क्यों नहीं अपनी बात ग्राम कचहरी में ले जाते हो।" ग्राम कचहरी ने ज़मीन के कागज़ात के आधार पर अवधेश के पक्ष में फैसला सुनाया।

विनोद ने इस फैसले को नहीं माना और अगले दिन जब अवधेश अपने घर पर नहीं था तो विनोद ने उसकी दीवार से सटाकर अपनी दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया। शाम को जब अवधेश अपने घर वापस लौटा तो उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने उसी रात को विनोद के द्वारा तैयार की गई दीवार को तुड़वा दिया। सुबह जब विनोद को दीवार तोड़ देने की बात पता चली तो वह लाठी–डंडे के साथ अवधेश के यहाँ आया और अवधेश की जमकर पिटाई कर दी। उस पिटाई में अवधेश का एक हाथ भी टूट गया।

इन दोनों की लड़ाई को देखकर आस–पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और बीच–बचाव करके बात को आगे बढ़ने से रोका। इसी बीच उस गाँव का चौकीदार भी वहाँ आ पहुँचा। सत्येन्द्र एवं अरुण, जो अवधेश के पड़ोसी थे, उसे नज़दीक के अस्पताल ले गये। उन्होंने अस्पताल में अवधेश की जाँच करवाई।उसके हाथ पर प्लास्टर लगवाया और फिर सब इस मामले की शिकायत दर्ज करवाने थाने गए।

1. ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में क्यों सुनाया? चर्चा कीजिए।
2. क्या विनोद को अवधेश की पिटाई करनी चाहिए थी?
3. अगर विनोद ग्राम कचहरी के फैसले से संतुष्ट नहीं था तो उसे क्या करना चाहिए था?

## थाने में रिपोर्ट

थाने में अवधेश ने विनोद के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। दारोगा ने सादे कागज़ पर रिपोर्ट लिखी। यह मामले की पहली रिपोर्ट यानी एफ.आई.आर. या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी।अवधेश ने उस पर हस्ताक्षर करके दारोगा से कहा, ''आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कीजिए, और इस रिपोर्ट की एक प्रति मुझे भी दीजिए।'' दारोगा ने कहा,–''जब थाना प्रभारी आएँगे, तब आपकी रिपोर्ट रजिस्टर में लिखी जाएगी।'' थाना प्रभारी के आने तक अरुण, सत्येन्द्र, अवधेश एवं चौकीदार थाने पर रुके रहे। कुछ ही समय बाद थाना प्रभारी भी आ गए। उनसे अवधेश ने रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

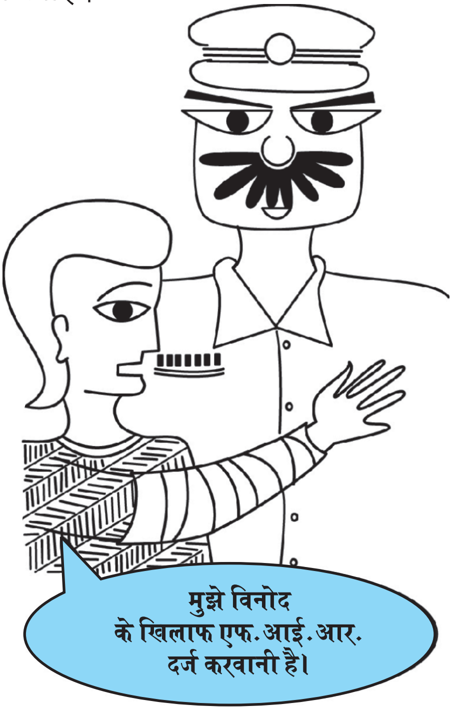


## अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना

अवधेश ने अपना मामला एक सामान्य थाने मे दर्ज करवाया। प्रत्येक ज़िले में एक विशेष थाना भी होता है, जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपने विरुद्ध हुए अत्याचार या अपराध के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं।
क्योंकि इसके विरुद्ध किया गया अपराध एक खास तरह का अपराध माना जाता है।

## एफ.आई.आर. (प्रथम दृष्टया रिपोर्ट)

थाने में एफ.आई.आर. कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पीड़ित व्यक्ति पढ़ा–लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके एफ.आई.आर. कर सकता है। मौखिक बताने पर दारोगा लिख लेता है, फिर पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। एफ.आई.आर. में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम और अपराध का समय होना ज़रूरी है। गवाहों के नाम भी एफ.आई.आर. में दर्ज होने चाहिए। जानकारी देने वाले को एफ.आई.आर. की एक प्रति निःशुल्क मिलती है। यदि कोई थानेदार एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार करता है तो डाक और इन्टरनेट के माध्यम से भी पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट के पास एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा सकती है। एफ.आई.आर. उसी थाना क्षेत्र में दर्ज करवाई जाती है, जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई हो।

अवधेश जाने को तैयार हुआ, पर अरुण ने उसे रोककर थाना प्रभारी से एफ.आई.आर. की एक प्रति मांगी। अरुण को पता था कि एफ.आई.आर. करवाने वाले को एफ.आई.आर. की एक प्रति मिलती है। उसने एफ.आई.आर. की एक प्रति ली और फिर सब अपने घर के लिए निकल गये।

**चर्चा कीजिए**

1. थाने में रिपोर्ट लिखवाना क्यों ज़रूरी है?
2. अगर किसी के घर में चोरी हो जाए तो वे कैसे और कहाँ रिपोर्ट लिखवाएँगे ? विवरण लिखिए।
3. एफ.आई.आर. की कॉपी क्यों ज़रूरी है?
4. अगर कोई थानेदार आपकी एफ.आई.आर. दर्ज न करे तो आप क्या कर सकते हैं?

## मामले की छानबीन

एफ.आई.आर. के आधार पर थाना प्रभारी ने दारोगा से मामले की छानबीन करने को कहा। दारोगा उसी दिन अवधेश के घर पहुँचा। पहले तो उसने अवधेश की चोटें देखीं। डॉक्टर की पर्ची से पता चला कि चोटें काफी गंभीर हैं। उसने अवधेश के पड़ोसियोंसे पूछताछ की। पड़ोसियों ने मारपीट के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। दारोगा को विश्वास हो गया कि अवधेश को मारपीट से ही इतनी चोट लगी थी।

वह विनोद के पास गया और उसको बताया कि वह उसे अवधेश को गंभीर चोट पहुँचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दारोगा उसे अपने साथ थाने ले गया। वहां उससे पूछताछ की गई विनोद इस बात से इन्कार कर गया कि उसने अवधेश की मारपीट की है।

## गिरफ्तारी

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे यह बताना ज़रूरी है कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे यह नहीं बताया जाता है तो उसको यह अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछे। बिना अपराध बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है।

कानून के अनुसार पुलिस थाने में किसी पर भी अपना जुर्म कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल कर भी ले तो इसके आधार पर उसे सज़ा नहीं हो सकती। सज़ा तब होगी जब वह मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल करेगा।

पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके न्यायालय में सबूत पेश करना है।

### चर्चा कीजिए

1. एफ.आई.आर. की शिकायत के मामले में पुलिस छानबीन से क्या पता लगाने की कोशिश करती है?
2. मामले की छानबीन के लिए पुलिस को मार–पिटाई का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए?
3. किसी भी अपराधी द्वारा थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर उसे वहीं पर ही सज़ा क्यों नहीं सुनाई जा सकती?
4. क्या छानबीन की प्रक्रिया को कोई व्यक्ति प्रभावित कर सकता है? कैसे? आपस में चर्चा कीजिए ।

## ज़मानत

थाना प्रभारी ने विनोद को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाए। तब थानेदार ने विनोद को बताया–"तुम्हारा जुर्म ज़मानतीय है, इसलिए तुम्हें किसी की ज़मानत पर छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास ज़मीन–जायदाद हो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी ले सकता है।" उसने आगे समझाया, "यदि वह तुम्हारी ज़मानत ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास भी कुछ ज़मीन–जायदाद है तो तुम भी बॉण्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाएगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो वह जायदाद ज़ब्त कर ली जाएगी।"

विनोद ने बताया कि उसके पास पांच एकड़ ज़मीन है। फिर उसने अपने लिए बॉण्ड भर दिया। थानेदार ने उसे यह भी बताया–"कल तुम्हें पेशी के लिए अदालत आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो।"

## गैर–ज़मानती अपराध

विनोद तो ज़मानत पर छूट गया पर सभी जुर्म ज़मानती नहीं होते। चोरी, डकैती, कत्ल, रिश्वत आदि जुर्मों में गिरफ्तार लोगों को ज़मानत पर छूटने का अधिकार नहीं है। ऐसे गैर–ज़मानती जुर्मों में भी मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) को ज़मानत की अर्ज़ी दी जा सकती है। फिर यह मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि ज़मानत मंज़ूर करे या इंकार कर दे।

**चर्चा कीजिए**

1. ज़मानत का प्रावधान क्यों रखा गया है?
2. इस कहानी में विनोद का जुर्म ज़मानती है या गैर–ज़मानती?
3. चोरी, डकैती, कत्ल जैसे जुर्मों को गैर–ज़मानती क्यों माना गया है?

## पहली पेशी

अगले दिन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कचहरी बिनोद की में पेशी होने वाली थी। यह कचहरी जिला मुख्यालय आरा में थी। कचहरी के आस–पास काफी लोग थे।उनमें से काले कोट पहने हुए वकील थे। कई अभियुक्त (अर्थात् वे लोग जिनके खिलाफ किसी अपराध की शिकायत दर्ज थी) और दूसरे मामलों की पेशी के लिए आये हुए लोग भी थे। विनोद, अवधेश, अरुण, विनोद का पुत्र, थाना प्रभारी और दारोगा भी वहां थे। विनोद ने अपना वकील कर लिया था। पुलिस की ओर से सरकारी वकील मुकदमा लड़ रहा था। कुछ ही देर में विनोद की पेशी की पुकार हुई।

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने इस मुकदमे की यह पहली पेशी थी। थानेदार ने विनोद के वकील को एफ.आई.आर. और पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति दे दी ताकि उसे यह पता रहे कि विनोद पर क्या इल्ज़ाम लगाये गये हैं। यह भी पता हो कि उसके विरुद्ध क्या जानकारी इकट्ठी की गई है। इन सारी बातों को जानने के बाद ही विनोद का वकील उसका बचाव कर सकता था। सरकारी वकील ने विनोद पर अवधेश को गंभीर चोट पहुँचाने का आरोप लगाया। विनोद ने इल्ज़ाम कबूल नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने 25 दिन बाद अगली पेशी की तारीख दी।

## गवाह और पेशी

विनोद ने अपने पक्ष में कुछ दोस्तों के नाम गवाहों के रुप में दिए थे। अवधेश ने जो मामला थाने में दर्ज कराया था, उसमें भी कुछ लोगों के नाम गवाह के रूप में लिखवाए थे। दारोगा ने छानबीन के समय अवधेश के दो पड़ोसियों के नाम लिख लिये थे। इन सब को मजिस्ट्रेट से आदेश मिला कि उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में गवाही देने के लिए उपस्थित होना है।

25 दिन बाद दूसरी पेशी की तारीख आई सभी लोग आरा की कचहरी पहुँचे। पहले सरकार की तरफ से एक गवाह को बुलाया गया। उसने उस दिन की सारी बातें बताईं। फिर दोनों तरफ के वकीलों ने उसने पूछताछ की। ऐसे दो गवाहों की गवाही के बाद मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी की तारीख दे दी।

इस तरह हर पेशी में एक या दो गवाहों के बयान लिए जाते और फिर अगली पेशी की तारीख मिल जाती। इस तरह पेशियाँ होती रहीं। विनोद को हर पेशी पर अपने वकील को फीस देनी पड़ती। करीब एक साल तक पेशियाँ हुई फिर मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया
" विनोद अवधेश की गंभीर पिटाई करने का दोषी है उसे चार साल की कैद होगी। "

**चर्चा कीजिए**

1. आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी मिलना क्यों ज़रूरी है?
2. किसी भी मामले में दोनों पक्षों के वकील का होना क्यों आवश्यक है?
3. किसी भी मुकदमे में गवाहों को पेश करना व उनसे पूछताछ करना क्यों ज़रूरी है?
4. पुलिस और मजिस्ट्रेट के काम में क्या अंतर हैं?

मामला आखिरकार कोर्ट में पहुँचा, जहाँ न्यायधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला सुनाया।

## सत्र न्यायालय में अपील

विनोद फैसले से असंतुष्ट था। विनोद के वकील ने बताया-"सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है। सत्र न्यायाधीश मजिस्ट्रेट से ऊपर होते हैं और मजिस्ट्रेट का फैसला बदल सकते हैं। हो सकता है सत्र न्यायाधीश तुम्हें दोषी न ठहराएँ या सज़ा कम कर दे।" विनोद के वकील ने सत्र न्यायालय में अपील कर दी। इसके कारण सत्र न्यायाधीश ने विनोद की सज़ा स्थगित कर दी। उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। फिर सत्र न्यायालय में मुकदमा चलता रहा। दो साल बाद सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया। उसने विनोद की सज़ा चार साल से तीन साल कर दी।

## उच्च न्यायालय

सत्र न्यायाधीश का फैसला सुनकर विनोद हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा "क्या ये फैसला बदला जा सकता है?" वकील ने बताया-"सभी राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। वह उस राज्य की सबसे बड़ी कचहरी होती है। किसी भी मुकदमे के फैसले प्रदेश के उच्च न्यायालय में बदले जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में अभियुक्त या गवाह नहीं बुलाये जाते। वहाँ पर तो केवल जानकारी की फाइल के आधार पर ही फैसला होता है? हमारे राज्य का उच्च न्यायालय पटना में है। तुम चाहो तो अपील कर सकते हो। हो सकता है सज़ा और कम हो जाए।" विनोद ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया। लेकिन विनोद उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सज़ा काटनी पड़ी जो सत्र न्यायाधीश ने दी थी। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा।

उच्च न्यायालय, पटना

**चर्चा कीजिए -**

1. अपील के प्रावधान का क्या उद्देश्य है?
2. ऊपर की अदालतों द्वारा अपील के मामले में दिये गये फैसले नीचे की अदालत को क्यों मानने पड़ते हैं?
3. कई मुकदमे कई साल तक चलते हैं। ऐसा क्यों होता है?

## विनोद एवं अवधेश का मामला

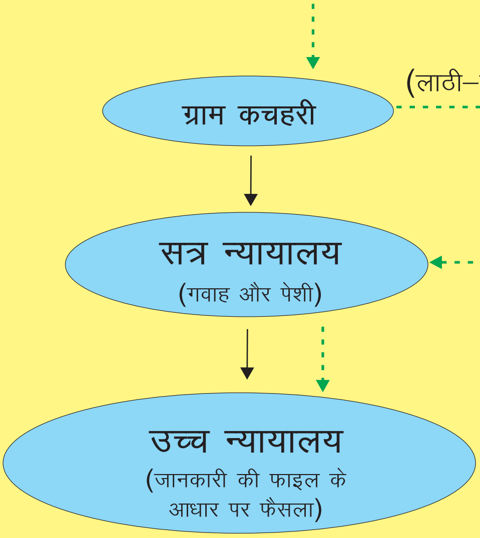

विनोद बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा, "इतने साल मैं जेल में रहूंगा तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अवधेश को कुछ रुपये दे दूँ और बात निपट जाए?" वकील ने कहा, "ऐसा नहीं हो सकता। तुमने अवधेश के साथ मारपीट की थी, इसलिए यह एक फौज़दारी का मामला है। यानी ऐसा अपराध जिसमें दण्ड दिया जा सकता है।" मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, दहेज लेना, हत्या, खतरनाक दवाईयाँ बनाना आदि, ये सब फौज़दारी मामले हैं। इनमें अपराध साबित होने पर सज़ा अवश्य मिलती है। सिर्फ ज़मीन–जायदाद के मामले में सज़ा नहीं होती, ये दीवानी मामले कहलाते हैं।

"दीवानी मामले क्या होते हैं?" विनोद ने पूछा।

वकील ने कहा, "जब भी कोई ज़मीन–जायदाद के झगड़े होते हैं या मज़दूर–मालिक के बीच मज़दूरी को लेकर या किसी के बीच पैसे के लेन–देन या व्यापार के झगड़े, किराया, तलाक सम्बान्धित झगड़े होते हैं, तो दीवानी मामले दर्ज कराए जाते हैं। जैसे – तुम्हारी ज़मीन का झगड़ा अवधेश के साथ था तो तुम मारपीट न करके कोर्ट में दीवानी मुकदमा कर सकते थे। कोर्ट के फैसले के अनुसार जिस भी पक्ष का नुकसान होता या जिसकी सम्पत्ति पर नाजायज़ कब्ज़ा किया जाता, उसे उस नुकसान का मुआवज़ा दिया जा सकता था।"

दीवानी मामले में आमतौर पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। बल्कि गवाह और कागज़ों को देखकर फैसले किये जाते हैं। दीवानी मामलों को निपटाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वे नियम फौज़दारी मामलों से अलग होते हैं। क्योंकि वे ऐसे अपराध नहीं होते, जो सामाजिक व्यवस्था को भंग करते हैं जैसे-चोरी, डकैती आदि।

आपने देखा कि अवधेश को न्याय दिलाने का कार्य एक सुनिश्चित न्याय प्रणाली की वजह से ही संभव हो पाया। इस प्रक्रिया में पुलिस, वकील और न्यायाधीश की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। जहाँ न्याय दिलाने की प्रक्रिया में पुलिस पहली कड़ी थी, वहीं न्यायाधीश का निर्णय अंतिम कड़ी।

इस अध्याय में हमने विनोद और अवधेश के बीच होने वाली फौज़दारी मुकदमे की चर्चा की है। ऐसे मामलों का स्वरूप तथा इनके लिए दण्ड के प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये हैं। विनोद और अवधेश का यह मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी मामला जिससे समाज की शांति और व्यवस्था भंग होती है, फौज़दारी मामला माना जाता है। फौज़दारी मामलों में पुलिस में रिपोर्ट कैसे की जाएगी या पुलिस के अधिकारी न्यायालय में मुकदमा कैसे दायर करेंगे, ये सारे बिन्दु आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) में दिए गए प्रावधानों के तहत तय किए जाते हैं।

## अभ्यास के प्रश्न

1. इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हाँ तो उन बिन्दुओं की सूची बनाइए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पता चलती है।

2. क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर कारण सहित लिखिए ।

3. पाठ के आधार पर निम्नलिखित कामों के बारे में तालिका को पूरा कीजिए। आप यह भी बताइए कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है और क्यों?

पुलिस

– प्रथम रिपोर्ट दर्ज करना

.......................................................

.......................................................

.......................................................

वकील

– अपने–अपने पक्ष में सबूत पेश करना व उनकी जाँच–पड़ताल करना।

.......................................................

.......................................................

.......................................................

न्यायाधीश

– मुकदमे को सुनना

.......................................................

.......................................................

.......................................................

4. अध्याय में दी गयी जानकारियों के आधार पर निम्न तालिका को पूरा कीजिए ।

| दीवानी मामले | फौज़दारी मामले |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

5. मान लीजिए कि आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। न्याय देते समय आप किन–किन बातों का ध्यान रखेंगे?

6. भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में क्या–क्या कमियाँ हैं? इन कमियों को दूर करने के लिए क्या–क्या किया जाना चाहिए?

***

अध्याय 7

# सहकारिता

C1U4K1

हम मानव एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में अपने आपको मर्यादित और व्यवस्थित करने के लिए हमें अपनी–अपनी ज़िंदगी में अलग–अलग कार्य करने पड़ते हैं। उनमें से कुछ ऐसे काम हैं, जिन्हें हम अकेले कर सकते हैं या शायद अकेले करना ही पसन्द करते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो समूह में करने पर अधिक रोचक और आसान बन जाते हैं।

(1) (2)

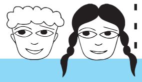

ऊपर दिये गये स्थान में दो ऐसे कार्यों को दर्शाएँ जो आप
(1) अकेले करते हैं (2) जिसे अन्य लोगों के साथ मिलकर करते है।

लोगो के साथ मिल–जुलकर आपसी सहयोग के साथ कार्य करने की व्यवस्था सहकारिता कहलाती है। आइए इसे हम मधुरापुर की कहानी को पढते हैं।

## मधुरापुर की कहानी

वैशाली ज़िले का एक छोटा–सा गाँव है- मधुरापुर। इस इलाके के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। यहां कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इनमें केले की खेती प्रमुख है। केले की खेती की उपज बढ़ाने के लिए मवेशी खाद न केवल लाभदायक बल्कि अनिवार्य भी होती है। इसलिए यहां प्रायः सभी लोग खेती के साथ–साथ पशुपालन भी करते हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि अधिकांश घरों में पशुपालन की वजह से यहां दूध का उत्पादन उसकी खपत से कहीं ज़्यादा होता है।

पहले दुग्ध उत्पादक अपने दूध को पास के बाज़ार में या शहर में बेचने ले जाते थे जहां मुख्य तौर पर शहर के निवासी या मिठाई दुकानदार इसे खरीदते थे। लेकिन गांव से शहर में दूध लाकर बेचना काफी कठिन था, क्योंकि इसमें दूध के खराब होने की संभावना रहती थी। इसके अलावा, कुछ दूध उत्पादक गांव में ही किसी अन्य (दूधिया) को अपना दूध काफी कम मूल्य पर बेच देते थे। यह बीच का आदमी (दूधिया) उसी दूध को शहर में अधिक दाम पर बेचता था।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूध उत्पादक परिवारों ने मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति की स्थापना की। यह समिति ज़िला स्तर पर वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड है। इसे हम पटना डेयरी के नाम से भी जानते हैं ये सब साथ जुड़कर काम करते हैं।

दूध का उचित मूल्य न मिलने और बिक्री में होने वाली असुविधा की समस्या सिर्फ किसी एक

परिवार की नहीं थी, बल्कि सभी दूध उत्पादकों की थी। कोई भी अकेले इस समस्या का हल नहीं ढूँढ़ सका। इसलिए इस समस्या का हल लोगों ने सहकारी समिति बना कर ढूँढ़ा यह सभी के हितों का समान रूप से ध्यान रखती है। सहकारी समिति बनने से लोगों की दूधियों पर निर्भरता भी खत्म हो गई। इस समिति के सदस्य बनने से वे लोग अब अपना दूध यहां आसानी से बेच सकते हैं और समिति को उनका दूध अनिवार्य रूप से खरीदना है। सहकारी समिति का सदस्य होने के नाते यह उनका हक बनता है।

वर्तमान समय में मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में लगभग 400 सदस्य हैं। सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये का शेयर लेना होता है तथा एक रुपया प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। 400 सदस्यों वाली इस संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी सदस्य आपस में मिलकर एक कार्यकारिणी का गठन करते हैं। इसमें 13 सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है। कार्यकारिणी के गठन के उपरांत इस कार्यकारिणी के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

कार्यकारिणी की देखरेख में ही समिति का संचालन होता है। समिति के सदस्यों द्वारा जमा की गई शेयर व सदस्यता शुल्क राशि आरंभिक पूँजी के रूप में काम आती है। इस राशि से दूध की गुणवत्ता जांचने के यंत्र, दूध संग्रह हेतु बर्तन तथा दूध मापने के उपकरण आदि खरीदे जाते हैं। कार्यकारिणी के मुख्य काम, समिति के सारे कामों की व्यवस्था करना जैसे,दुकान को समय पर खोलना, दूध की जांच करना एवं उसे पटना डेयरी पहुंचाना, इत्यादि होते हैं।

इस समिति से जुड़ने के बाद यहां की दुग्ध उत्पादक परिवारों और किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में निरंतर सुधार दिखने लगा है। अब उन्हें अपने दूध का

दूध की जाँच

दूध संग्रहण केन्द्र

निश्चित ग्राहक मिल गया है, जो उन्हें उनके दूध की पूरी व सही कीमत देता है। दूध को बेचने के लिए अब उन्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता है।

### चर्चा कीजिए

1. मधुरापुर में मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बनने से पहले दूध को बेचने व खरीदने की क्या व्यवस्था थी?
2. सहकारी समिति को चलाने के लिए कार्यकारिणी क्यों बनाई जाती है?
3. दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बनने के बाद दूध उत्पादक परिवारों के जीवन में क्या परिवर्तन आया?
4. क्या आपके आस–पास इस प्रकार की कोई दुग्ध समिति है? वर्णन कीजिए ।

## सहकारिता की ज़रूरत क्यों

सहकारिता दो शब्दों के योग से बना है–'सह' तथा 'कारिता'। सह का अर्थ है मिलकर तथा कार का अर्थ है–कार्य। इस प्रकार सहकारिता का मूलमंत्र है-मिल–जुल कर काम करना। इसमें लोग अपने आर्थिक हितों की पूर्ति एवं उन्नति के लिए, अपनी इच्छा से परस्पर मिल कर काम करते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है–जिस कार्य को अकेले न कर सकें,

उसे मिलकर करना उत्पाद की कम मात्रा को अकेले उचित मूल्य पर बेचना प्रायः संभव नहीं हो पाता, जबकि सभी के उत्पाद को सहकारिता के द्वारा एकत्रित करके उचित मूल्य पर बेचा जा सकता है। इससे लोगों की आर्थिक कमज़ोरी भी दूर होती है।

आइए यह समझने का प्रयास करते हैं कि सहकारी समितियों की ज़रूरत क्यों है और ये कैसे काम करती हैं। इस बात को कुछ उदाहरणों की मदद से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं।

## प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)

सरकार द्वारा पैक्स (Primary Agricultural Credit Co- operative Society) का गठन कृषकों के कल्याण तथा उनकी कृषि सम्बन्धी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। कोई भी किसान निर्धारित सदस्यता शुल्क और एक शेयर की राशि देकर इसका सदस्य बन सकता है। पैक्स अपने सदस्यों के लिए बैंक का कार्य करता है।

पैक्स में किसान अपनी बचत का संचय करते हैं। आवश्यकता होने पर सदस्यों को कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पैक्सों के पास यह राशि सदस्यों के जमा बचत तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से आती है। पैक्स के द्वारा उचित दर पर ऋण मिलने से किसान ऋण के लिए महाजनों के चंगुल में फँसने से बच जाते हैं।

इसके अतिरिक्त पैक्स के माध्यम से किसानों को उचित दर पर सही खाद और बीज उपलब्ध होते हैं। साथ ही, पैक्स यह सुनिश्चित करता है कि किसानों की फसलों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए । वर्तमान समय में राज्य के सभी 8463 पंचायतों में एक–एक पैक्स कार्यरत है जिसकी कुल सदस्यता लगभग 1.20 करोड़ इनमें महिलाओं की संख्या लगभग 36 लाख है।

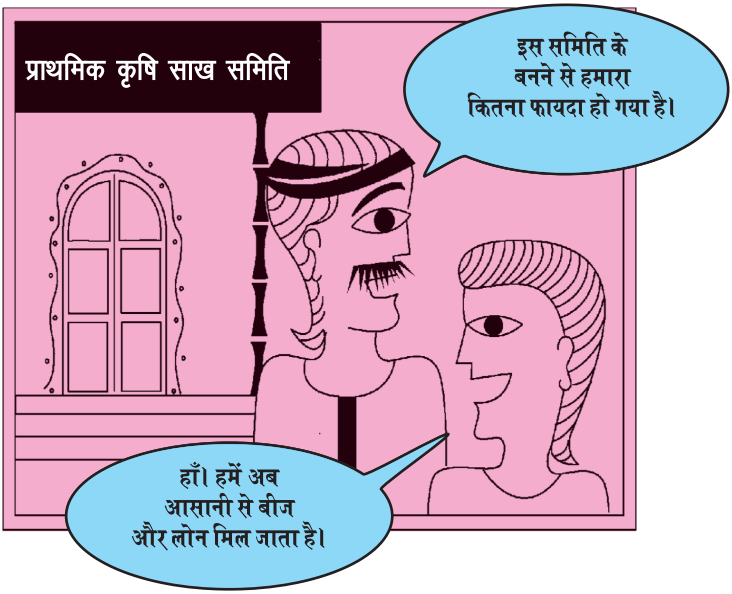

**पता कीजिए -**

1. पैक्स के सदस्य कौन होते हैं?
2. ऋण देने के लिए पैक्स के पास पैसा कहाँ से आता है?
3. ऋण देने के अलावा पैक्स कौन–कौन से कार्य करती है?
4. पैक्स के कारण किसानों को महाजनों के चंगुल सा मुक्ति कैसे मिलती है?
5. पैक्स द्वारा फसल खरीदने से किसानों को क्या फायदा होता है?
6. पैक्स के सदस्य किस साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं?
7. सरकार कमज़ोर वर्गों को पैक्स में हिस्सेदारी दिलाने के लिए क्या करती है? अपनी शिक्षक / शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए।

### उपभोक्ता सहकारी समिति

इस प्रकार की समिति की स्थापना का उद्देश्य थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। समिति के सदस्यों के द्वारा जमा राशि से जो पूँजी इकट्ठी होती है, उससे थोक व्यापारी या उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में सामग्री खरीदी जाती है। इस तरह सामग्री सीधे खरीदे जाने के कारण वस्तुओं का मूल्य खुदरा बाज़ार से काफी कम हो जाता है। वस्तुओं की गुणवत्ता जाँचने के कारण यहाँ बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसका एक और फायदा यह भी होता है कि इससे समिति के सदस्यों को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार ये समितियाँ वित्तीय आधार पर कमज़ोर लोगों को व्यापारियों व दलालों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाती हैं। इस प्रकार,हम देखते हैं कि सहकारी समितियों की स्थापना किसी भी क्षेत्र में पारस्परिक समस्याओं का समाधान निकालने और वहाँ के लोगों की जीविका या रोज़मर्रा के जीवन से सम्बन्धित समस्याओं या मुश्किलों को कम करने के लिए किया जाता है।

**चर्चा कीजिए**

1. उपभोक्ता सहकारी समिति जैसी समितियाँ क्यों बनाई जाती हैं?
2. इसके सदस्य बनने के लिए क्या अनिवार्य है?
3. थोक व्यापारी या उत्पादक से अधिक मात्रा में सामग्री खरीदने के लिए पूँजी कहाँ से आती है?
4. चर्चा कर पता करें – थोक व्यापारी या उत्पादक से खरीदी गई वस्तु बाज़ार से सस्ते मूल्य पर क्यों उपलब्ध होती है?

आपके इलाके में किस प्रकार की सहकारी समितियाँ हैं? एक सूची बनाएँ। फिर टोली बनाकर नीचे दिए गए बिन्दुओं पर इनके बारे में जानकारी ढूंढ़िए और अपनी एक रिपोर्ट बनाकर कक्षा में पेश कीजिए ।

1. आपके इलाके की सहकारी समिति के सदस्य कौन हैं?
2. सदस्य मिलकर क्या करते हैं?
3. इससे क्या लाभ होता है?
4. समिति के सामने किस तरह की समस्याएँ आती हैं ?

## सहकारी समिति की विशेषताएँ एवं कमज़ोरियाँ

अभी तक हमने देखा कि सहकारी समिति अपने सदस्यों के हितों व उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कई प्रकार के प्रयास करती है। इन समितियों का काम निजी व्यवसाय से अलग है। इसमें व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामूहिक हित पर ज़ोर दिया जाता है।

## सबके लिए सदस्यता

सहकारी समिति का गठन तथा इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है अर्थात् कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति में स्वेच्छा से सम्मिलित हो सकता है। इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए धर्म, जाति आदि का कोई बन्धन नहीं है। अर्थात् इसकी सदस्यता खुली होती है। सदस्यों का उद्देश्य वही होना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए समिति बनाई गई है।

जैसे मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्य केवल दूध उत्पादक ही हो सकते हैं। कोई गैर दुग्ध उत्पादक इसका सदस्य नहीं हो सकता है। इसके बावजूद कई बार कुछ समितियों में ऐसे सदस्य भी सदस्यता प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं जो,इसके पात्र नहीं होते हैं। ये लोग झूठ बोलकर या असत्य दस्तावेज़ के बल पर समिति के सदस्य बन जाते हैं। ऐसे छद्म सदस्यों के कारण समिति के गठन का उद्देश्य प्रभावित होने लगता है। ऐसे सदस्य समिति के द्वारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इस प्रकार जो लाभ सबको मिलना चाहिए,वह कुछ लोगों को ही प्राप्त होता है। जब दूसरे सदस्य इसका विरोध करते हैं तो आपसी झगड़े होने लगते हैं। इससे समिति का विकास होने की बजाय उसमें गिरावट आने लगती है। बिहार में मत्स्यजीवी सहयोग समिति और व्यापार मंडल की असफलता के कुछ कारण ये भी हैं।

अपनी शिक्षिका व घर के सदस्यों से चर्चा करके बिहार मत्स्यजीवी सहयोग समिति और व्यापार मंडल की असफलता के कारण ढूंढ़िए।

## समानता

सहकारी समिति के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जहाँ व्यापारिक संगठनों का प्रबन्धन कुशल व उच्च वेतन भोगी प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है, वहीं सहकारी व्यवस्था में सदस्यों की भागीदारी पर ज़ोर दिया जाता है। इसका प्रबन्धन स्वयं सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक आधार पर किया जाता है। इसके प्रबन्ध के लिए एक कार्यकारिणी बना दी जाती है जिनके सदस्यों का चुनाव आम सभा के मतों के आधार पर होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होता है।

मधुरापुर की कहानी में भी आपने देखा कि मधुरापुर दुग्ध उत्पादन समिति में भी प्रबन्धन व्यवस्था के लिए मतों के आधार पर लोकतां्रिक तरीके से एक 13 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन किया गया है।

समिति में जब ऐसे सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती हैं जो, गलत ढंग से सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं तो समिति का लोकतांत्रिक स्वरूप नष्ट हो जाता है। ये लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मनचाहा कार्यकारिणी का गठन कर लेते हैं। इससे सहकारी समिति अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करने में असफल हो जाती है और कुछ स्वार्थी तत्वों के हाथों की कठपुतली बन जाती है।

बिहार में कई सहकारी समितियाँ इस कारण असफल रही हैं। मत्स्यजीवी सहकारी समिति इसका प्रमुख उदाहरण है। बिहार में सरकारी तालाबों की बन्दोबस्ती सिर्फ मत्स्यजीवी सहकारी समिति कर सकती है। इसका उद्देश्य इससे जुड़े मत्स्य उत्पादकों को जीवन–यापन के अवसर उपलब्ध कराना होता है। लेकिन, इन समितियों में ऐसे धनी लोगों का कब्ज़ा है जो सिर्फ जाति से मछुआरे हैं। मत्स्य उत्पादन उनका पेशा नहीं है। ये लोग अधिक लगान पर तालाबों की बन्दोबस्ती कर गरीब मछुआरों का शोषण करते हैं।

## लाभ का विभाजन

सहकारी समिति की एक और विशेषता यह है कि इसके लाभ का न्यायपूर्ण वितरण सभी सदस्यों में किया जाता है। उदाहरण के लिए मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में भी शुद्ध लाभ का 25 प्रतिशत संचित कोष में जमा किया जाता है। संचित निधि का उपयोग समिति की बेहतरी के लिए नई मशीनें या सामग्री खरीदने तथा आकस्मिक खर्चों में किया जाता है। शेष 75 प्रतिशत कोष सदस्य किसानों को बोनस देने एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाता है।

### विचारणीय बिन्दु

1. संचित कोष की ज़रूरत क्यों हैं ?
2. आपके अनुसार दुग्ध उत्पादक समितियाँ किस प्रकार की योजनाओं पर खर्च करती हैं?
3. दूधिया का काम और समिति के काम में क्या अंतर है?

सहकारी समिति की विशेषताओं और कमज़ोरियों के अध्ययन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये समितियाँ समाज के गरीब, पिछड़े तथा सीमित साधनों वाले लोगों के विकास में पूरा सहयोग देती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

यदि इन समितियों में कार्य करने वाले लोगों को प्रबंधन का प्रशिक्षण दे दिया जाए और पर्याप्त पूँजी उपलब्ध करा दी जाए तथा लोगों में सामूहिक हितों को प्राथमिकता देने की भावना पैदा कर दी जाए, तो सहकारी समितियाँ समाज के गरीब लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो सकती हैं।

## अभ्यास के प्रश्न

1. सहकारी समिति के सदस्य कौन होते हैं? वे मिलकर क्या करते हैं? इससे क्या लाभ होता है?
2. सहकारिता से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। सहकारी समितियाँ बनने से पहले, इनसे सम्बंन्धित लोगों को किन–किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? इनके बनने के बाद, ये कठिनाइयाँ कैसे दूर हो पाईं?
3. अध्याय में जिन तीन सहकारी समितियों की चर्चा की गई है, उनमें से आप किस सहकारी समिति को सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं और क्यों?
4. सहकारी समितियों के काम–काज में कौन–कौन सी मुश्किलें आती हैं? आपके

   विचार में इन मुश्किलों को हल करने के लिए क्या–क्या किया जा सकता है? मान लीजिए आप मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं। अपनी समिति को अच्छी तरह से चलाने और उसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या–क्या कोशिशें करेंगे?

5. शिक्षिका की सहायता से निम्न तालिका को भरिए –

| सहकारी समिति का नाम | सदस्य कौन होते हैं | मिलकर क्या करते हैं इसके लाभ | समस्याएँ |
|---|---|---|---|
| मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति | | दूध के विक्रय तथा उचित मूल्य की व्यवस्था | |
| | | | |
| उपभोक्ता सहकारी समिति | | | अकुशल प्रबन्धन |
| पैक्स | | | पूँजी की कमी |

अध्याय

# 8 खाद्य सुरक्षा

Y8V5J9

माधोपुर गाँव का रामू एक खेतिहर मज़दूर है। रामू का सबसे बड़ा बेटा सोमू सरपंच के यहाँ तीन वर्षों से मवेशियों की देखभाल का काम करता है। सरपंच कभी–कभार उसे कुछ पैसे देता है, जो साल भर में कुल मिलाकर हज़ार रुपये भी नहीं हो पाते हैं।

सोमू के अलावा रामू के तीन बेटे और दो बेटियाँ हैं। उसने अपनी बड़ी बेटी कमला की शादी तीन वर्ष पूर्व ही कर दी थी,जब वह 16 वर्ष की थी। आज उसका भी दो वर्ष का एक बच्चा है। दूसरी बेटी सरला अभी 14 वर्ष की है। वह जन्म से ही कमज़ोर है। जन्म के समय उसकी माँ भी काफी कमज़ोर थी। सरला घर पर ही अपने तीन छोटे भाइयों की देखभाल करती है। रामू की पत्नी तीन-चार घरों में चौका–बर्तन का काम करती है। फसल के मौसम में वह खेतों में काम कर कुछ रुपये कमा लेती है।

जब कमला दोबारा गर्भवती हुई तब से उसकी तबियत लगातार खराब रहने लगी। बच्चा भी कमज़ोर पैदा होने के कारण जन्म के कुछ ही दिनों बाद गुज़र गया। इस साल वर्षा न होने के कारण गाँव में खेती का काम नहीं के बराबर है। पहले रामू खेती का काम न मिलने पर गाँव के ही ईंट–भट्टे पर काम करने चला जाता था। लेकिन अब उससे मेहनत का काम नहीं हो पाता है।

घर की माली हालत बिगड़ने पर बड़ा बेटा सोमू नौकरी की तलाश में शहर चला गया। वहाँ भी उसे कई लोगों ने अवयस्क कह कर काम देने से इंकार कर दिया। सोमू 18 वर्ष का होने के बावजूद 14–15 वर्ष से अधिक का नहीं दिखता है। किसी तरह उसे एक होटल में 500 रुपये महीना की नौकरी मिली। इनमें से अधिकांश रुपये वह अपनी माँ के इलाज और छोटे भाई–बहनों की देखभाल के लिए गाँव भेज देता है।

इधर कुछ दिनों से सोमू की तबियत भी ठीक नहीं

है। लम्बे समय से परिवार को पर्याप्त भोजन नहीं मिलने से सभी कमज़ोर हैं। सामान्य रूप से उनका जितना वज़न होना चाहिए, उससे काफी कम है।

### चर्चा कीजिए

1. क्या खेतों में काम करके रामू को नियमित आय होती होगी? क्या इस आय से वह पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कर पाता होगा?
2. कमला की बीमारी और उसके छोटे से बच्चे के मृत्यु का क्या कारण है?
3. सोमू अपनी उम्र से छोटा क्यों दिखता है?
4. रामू और उसके परिवार को लम्बे समय तक पर्याप्त भोजन क्यों नहीं मिल पाता है? ऐसा क्यों है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस परिवार के लोग कमज़ोर पैदा होते हैं?
5. सरला जन्म से ही कमज़ोर क्यों है?

ऊपर दी गई रामू की कहानी सिर्फ उस अकेले की कहानी नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे परिवार गाँवों, कस्बों, शहरों और आस–पड़ोस में आसानी से दिख जाएँगे। कुछ लोगों की स्थिति तो इनसे भी दयनीय होती है।

जिस परिवार के सदस्यों को बहुत लम्बे समय तक पर्याप्त व पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता और जो अपने कुपोषण की वजह से उत्पन्न कमज़ोरी अपने आने वाली संतानों को भी देते हैं, उन्हें 'चिरकालिक भूख' से ग्रस्त कहा जाता है। इसलिए ऐसे परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है।

## कुपोषण

शरीर के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त आहार का लम्बे समय तक न मिल पाना ही 'कुपोषण' कहलाता है। कुपोषित माता–पिता कुपोषित बच्चों को जन्म देते हैं। कुपोषित बच्चे अपनी उम्र से कम दिखते हैं और उनका विकास रुक जाता है।

आयु के अनुसार बच्चों के वज़न और लम्बाई में जिस अनुपात से वृद्धि होनी चाहिए, उसमें असंतुलन आ जाता है। साथ ही उनके रोग–प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। सामान्य बीमारियाँ जैसे बुखार, उल्टी, दस्त, घेंघा रोग, रतौंधी इत्यादि भी उनकी मृत्यु का कारण बन सकती हैं।

कुपोषित परिवार

## कुपोषण को कैसे पहचानें

- शरीर की वृद्धि का रुकना।
- खून की कमी होना।
- मांसपेशियाँ ढीली होना या सिकुड़ जाना।
- शरीर का वज़न कम होना।
- हाथ–पैर पतले और पेट बड़ा होना या शरीर का सूजन।
- कमज़ोरी महसूस करना।

महिलाओं में खून का होना व लम्बे समय तक कम भोजन मिलने की वजह से उनका वज़न लगातार कम रहता है। (N.F.H.S. Report)

भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति के लिए बिना पर्याप्त भोजन के जी पाना न केवल मुश्किल है बल्कि निरर्थक है।

आज भी हमारे देश में गरीबी, बेरोज़गारी, भूख आदि से उत्पन्न कुपोषण जैसी समस्याओं से काफी लोग ग्रसित हैं। 10 मार्च 2023 के अनुसार भारत में कुल 18.92 करोड़ लोग कुपोषित हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएँ और बच्चे है। भारत में माँ बनने योग्य उम्र की एक चौथाई महिलाएँ कुपोषित है। यह दर ग्रामीण क्षेत्रों में 27% और शहरी क्षेत्र में 16% है।

कुपोषित परिवार

वज़न नापना

बच्चे को सही आहार दिया जाए तो उसका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है।

कल्याण 2 साल 3.5 कि. ग्राम अक्टूबर 2005, ग्राम गारलाग्रिड, गुना, मध्य प्रदेश

कल्याण 2 साल 6 महिने, 10 कि. ग्राम, मार्च 2006

स्रो़त्र: डॉ. रमणी, जन स्वास्थ्य सहयोग, विलासपुर, छत्तीसगढ़।

**कार्य बिन्दु :**

1. किन चीज़ों की कमी के कारण कुपोषण होता है?
2. कुपोषण के क्या–क्या लक्षण होते हैं?
3. पुरुषों के मुकाबले, महिलाएँ अधिक कुपोषण से क्यों ग्रसित होती हैं?
4. कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए।
5. आप अपने पड़ोस के आंगनबाड़ी केन्द्र जाकर निम्न सूचना एकत्र कर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए
   - बच्चों एवं महिलाओं का वज़न क्यों लिया जाता है?
   - वहां लोग किस प्रकार का आहार लेते हैं?
   - आंगनबाड़ी केन्द्र का मुख्य उद्देश्य क्या है?

## रोज़गार की तलाश

आज भी समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है,जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों में कई कृषक मज़दूर, बन्धुआ मज़दूर, भूमिहीन मज़दूर ऐसे लोग हैं, जो ज़मीन के छोटे–छोटे टुकड़ों पर ही निर्भर हैं। पारंपरिक सेवाएँ प्रदान करने वाले लोग व छोटे व्यवसायी भी इस वर्ग में शामिल हैं। केवल ग्रामीण लोग ही शहरों में भी ऐसे लोग हैं,जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। शहरी क्षेत्रों में इस वर्ग में ऐसे लोग शामिल हैं जो प्रायः कम वेतन पर सेल्स पर्सन के रूप में और अनियमित श्रम–बाज़ार में काम करते हैं। इन्हें कभी–कभी मौसमी कार्यों में ही काम उपलब्ध हो पाता है। इन्हें दैनिक मज़दूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह वर्ग रोज़गार की दृष्टि से हमेशा असुरक्षित होता है। इनकी आय या मज़दूरी इतनी कम होती है कि वे जीवन–निर्वाह भी मुश्किल से कर पाते हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों का भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित हैं।

गरीब लोगों की आय बहुत कम होती है,जिससे वे सिर्फ जीवित ही रह सकते हैं। आय में

वृद्धि के लिए काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। फिर भी, उनको रोज़गार का समुचित अवसर नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार अपने सामाजिक दायित्व के तहत गरीब लोगों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए रोज़गार योजनाएँ चला रही है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना** काफी महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व इसे **नरेगा** के नाम से जाना जाता था। इसके तहत सरकार कार्य के इच्छुक लोगों को उनकी पंचायत क्षेत्र सीमा के आस–पास एक वर्ष में 100 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। इस योजना में ग्रामीण बेरोज़गार अपने निकटस्थ स्थान पर काम की माँग कर सकते हैं।इस तरह की सरकारी योजनाएँ ग्रामीण निर्धनता को कम करने का प्रयत्न कर रही हैं।

1. अपनी शिक्षिका व अपने घर के बड़े–बूढ़ों से जानकारी इकट्ठा करके अपने आसपास की ऐसी योजनाओं के बारे में पता लगाइए,जिससे लोगों को रोज़गार व आय की प्राप्ति हो रही है।
2. बेरोज़गारी और कुपोषण का क्या सम्बन्धी है? आपस में चर्चा कीजिए।
3. लोगों को रोज़गार दिलाने का दायित्व सरकार का क्यों होना चाहिए? अपने संविधान में दिए गए अधिकारों/प्रावधानों को ध्यान में रखकर इसका उत्तर दीजिए ।

## खाद्य सुरक्षा के आयाम

1. देश में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन और सरकारी अनाज भंडारों में खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक।
2. प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य का खाद्यान्न उपलब्ध।
3. लोगों के पास अपनी भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध।

## भंडारण

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के माध्यम से सरकार द्वारा लोगों को अनाज, गेहूँ और चावल दिए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों के किसानों से

गेहूँ और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को **न्यूनतम समर्थन मूल्य** (एम.एस.पी.) कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले ही सरकार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। इसे **बफर स्टॉक** कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम के इस बफर स्टॉक को सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से समाज में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं।

भारतीय खाद्य निगम का गोदाम

### चर्चा कीजिए

1. क्या आपके घरों में भी अनाज का भंडारण किया जाता है? अगर हाँ, तो इसका क्या उद्देश्य है?
2. क्या आपके घरों में भी बाज़ार से कम मूल्य पर अनाज आता है? यदि हाँ,तो कैसे?
3. सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है?
4. उचित मूल्य की दुकानों तक अनाज कैसे पहुँचता है? अपने शब्दों में लिखिए।

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति

राशन की दुकान पर सुबह–सुबह लोगों की खूब भीड़ लगी थी। मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा था। लोग दुकानदार को ताने दे रहे थे  ब्लैक में बेचता होगा। और दुकानदार कहता,–"मैं कहाँ से लाऊँ? मेरे घर पर तेल का कुआँ है क्या? सरकार कोटा पूरा नहीं कर रही है और गाली मुझे सुननी पड़ रही है।"

**विचारणीय बिन्दु :**

1. क्या आपने कभी इस तरह की परिस्थिति देखी है?
2. आपके विचार में क्या दुकानदार सच बोल रहा है?
3. क्या आपके परिवार के पास राशन कार्ड है?
4. इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन–कौन सी चीज़ें खरीदी है?
5. क्या आपके परिवार को राशन की चीज़ें लेने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उनसे पता लगाए ।
6. आपकी समझ से राशन की दुकानें क्यों ज़रूरी हैं?

अब अधिकांश गाँवों –कस्बों और शहरों में राशन की दुकाने है। बिहार में 05 जनवरी 2023 तक बिहार खाद्य आपूर्ति विभाग के कुल 50,075 राशन की दुकानें (जन वितरण प्रणाली की दुकानें) कार्यरत हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 55304 है इन दुकानें में सरकार के द्वारा खाद्यान्न कम दामों पर बेचा जाता है। कोई भी परिवार प्रतिमाह सरकार द्वारा निर्धारित इनकी एक निश्चित मात्रा निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। सरकार की ओर से बी.पी.एल. परिवारों के लिए अंत्योदय योजना के अंर्तगत 90 रुपयें में 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होता है। राज्य सरकार द्वारा इस खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 13 रू. में 5 किलो ग्राम खाद्यान 2रू प्रति किलो चावल प्रति परिवार प्रति सदस्य के लिए माह उपलब्ध कराया जाता है। कोरोना काल 2020 ई0 के पश्चात् सभी राशनकार्ड धारियों को प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस प्रणाली ने देश के अनाज की अधिक पैदावार वाले क्षेत्रों से कम पैदावार वाले क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर इससे निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों पर रोक भी लगाई जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है।

हमारे देश में पर्याप्त अनाज के बावजदू भी भूख और कुपोषण एक समस्या बनी हुई हैं। एफ.सी.आई. के भंडार अनाज से भरे हैं। कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। गोदामों से राशन दुकानों तक अनाज पहुँचाने में भी काफी हेरा–फेरी की जाती है। राशन दूकानदारों द्वारा भी इन अनाजों की बड़े पैमाने पर कालाबाज़ारी की जाती है।

अपने इलाके की राशन की दुकान पर जाएं और जानकारी प्राप्त कीजिए –

1. राशन की दुकान कब खुलती है?
2. वहाँ पर कौन–कौन सी चीज़ें बेची जाती हैं?
3. वहाँ किस–किस तरह के कार्डधारी आते हैं?
4. वहाँ राशन कहां से आता है?
5. क्या इन दुकानों में सभी कार्डधारियों के लिए एक समान मूल्य होता है?
6. क्या राशन की दुकान और खुले बाज़ार की सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मूल्य में अंतर होता है? पता लगाइए।
7. लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए.पी.एल., बी.पी.एल., अन्त्योदय, वृद्ध लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना संचालित की जाती हैं। अपनी शिक्षिका से इस विषय पर जानकारी एकत्रित कीजिए।
8. निर्धन और गैर निर्धन के लिए चीज़ों का अलग–अलग मूल्य रखने में, क्या कोई व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है? कारण सहित समझाइए।

**चर्चा के बिन्दु :**

1. क्या आपको लगता है कि सरकार का गरीबों का स्वास्थ्य सुरक्षित कराने का यह तरीका सही है?
2. क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि कम दामों पर खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को उपलब्ध करायी जाये? इसके लाभ तथा नुकसान पर अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए ।
3. क्या कुछ लोग गलत तरीकों से अपने आप को इस रेखा के नीचे प्रमाणित करने की कोशिश करते होंगे?

**मध्याह्न भोजन योजना-** यह सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है। जिसके तहत बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए विद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा सही मायने में गरीब और कुपोषित लोगों की मदद हो सके इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी कमियों को दूर करने के लिए सरकार अनाज के भंडारण की उचित व्यवस्था व राशन दुकानों तक सामग्री सही समय पर सुचारु रूप से पहुँचाने की व्यवस्था करे। इसके बाद सही मूल्य और मात्रा में लोगों को खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास भी करे।

**गरीबी रेखा –** भारत सरकार उन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे मानती है, जो उसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम आर्थिक स्तर के नीचे हों। ये लोग सरकारी मदद, जैसे कम दाम पर खाद्य प्राप्त करने के हकदार होते हैं। अलग–अलग राज्य इसे तय करने के अलग–अलग तरीके अपनाता है। यह रेखा ग्रामीण और शहरी निवासियों के लिए भी अलग–अलग निश्चित की गई है।

## अभ्यास के प्रश्न

1. खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक लाभान्वित कौन होते हैं?
2. राशन की दुकान होना क्यों ज़रूरी है? समझाइए ।
3. लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य उपलब्ध कराने के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा के लिए और क्या–क्या उपाय किये जा सकते हैं? शिक्षक के साथ चर्चा कर लिखिए ।
4. खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? यह सभी लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है?
5. कुपोषण क्या है? कुपोषण से लोगों पर किस–किस तरह के असर पड़ते हैं?
6. आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा लोगों को रोज़गार देने के लिए कौन–कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? आपके विचार में इनमें से किस योजना का लाभ लोगों को सबसे अधिक हो रहा है और क्यों?
7. भारत में अनाज की मात्रा पर्याप्त होने के बावजूद भी कई लोगों को भरपेट भोजन क्यों नही मिल पाता? अपने शब्दों में लिखिए।
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? उदाहरण सहित लिखिए
9. भारत में अपनाई जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस प्रकार की समस्याएँ हैं? आपके विचार में इन्हें हल करने के लिए क्या करना चाहिए?

***

तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्तियों से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं और उनसे 10 वर्ष पहले मरते हैं।